दृष्टि The Vision

एडिटोरियल

(संग्रह)

अक्तूबर भाग-2
2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- शासन के लिये प्रोत्साहन 5
- वैश्विक समाज में कर न्याय 6
- भुखमरी: एक वैश्विक चुनौती 9
- राजनीतिक दलों का लोकतंत्रीकरण 11
- कट्टरपंथ का नीतिगत समाधान 13

आर्थिक घटनाक्रम **16**

- क्रिप्टो संपत्तियों का विनियमन 16
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद 18

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **21**

- भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी 21

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **24**

- परमाणु ऊर्जा: दिशा और दशा 24
- नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की आवश्यकता 26

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण **29**

- विकास बनाम पर्यावरण: अवसर और चुनौतियाँ 29

सामाजिक न्याय **32**

- सोशल मीडिया और युवा 32
- लोकतंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 34

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

शासन के लिये प्रोत्साहन

प्राय: इस विषय पर चर्चा की जाती है कि स्वतंत्रता के बाद से भारत, अपनी नीतियों के कुशल निष्पादन में पूर्ण सफल नहीं रहा है अथवा नहीं। अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में हुई भारी प्रगति के बावजूद, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छता, आवास और खाद्य सुरक्षा जैसे कई बुनियादी, लेकिन अत्यंत महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में भारत सदैव संघर्ष ही करता रहा है।

देश जब अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब यह उपयुक्त ही है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिये वर्तमान सरकार ज़मीनी स्तर पर नीति कार्यान्वयन का प्रशिक्षण और अनुभव रखने वाले नौकरशाहों/पेशेवरों पर भरोसा जता रही है।

मंत्रिपरिषद (Council of Ministers- COMs) में पेशेवरों को कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शामिल करना अब भारत में एक नया प्रतिमान ही बन गया है। इस निर्णय या दृष्टिकोण के अपने फायदे और नुकसान हैं और इसलिये इस दृष्टिकोण का मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता है।

COMs में भूतपूर्व नौकरशाहों को शामिल किये जाने के लाभ

- निष्पादन-अनुकूल नीतियाँ: नौकरशाहों का अनुभव उन्हें ऐसी नीति को आकार देने में मदद करता है जो व्यवहार्य और निष्पादन-अनुकूल दोनों हो।
- विचारधारा के प्रति कम निष्ठा: मंत्रिपरिषद में उन्हें शामिल किये जाने का एक अन्य लाभ यह है कि किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति उनकी अपेक्षाकृत कम निष्ठा होती है, जिसका अभिप्राय है उनका 'पॉलिटिकल दायित्त्व' और जवाबदेही काफी कम होती हैं और इस प्रकार सार्वजनिक हित में दीर्घकालिक निर्णयों का मार्ग प्रशस्त होता है।
- लोकलुभावन उपायों से बचाव: निर्वाचित प्रतिनिधियों का झुकाव अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिये लोकलुभावन उपायों की ओर होता है, जो बाद में अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति पर भारी पड़ता है।
  - ऐसी नीतियाँ प्राय: संरक्षण और भ्रष्टाचार का साधन बन जाती हैं। अनुभवी नौकरशाह से राजनेता बने लोग व्यावहारिक रूप से सोचते हैं और ऐसे वादे नहीं करते जिन्हें पूरा करना कठिन हो।
- प्रणाली का आंतरिक-बाह्य ज्ञान: प्रणाली के अंग रहे नौकरशाह इसका आंतरिक-बाह्य ज्ञान रखते हैं; उनके लिये अंतर- और अंतरा-विभागीय 'साइलो' (Silo) को तोड़ना बहुत आसान होता है, जिससे लालफीताशाही में उल्लेखनीय कमी आ सकती है और इस तरह उत्पादकता में सुधार हो सकता है।
  - कई अर्थव्यवस्थाएँ इस तथ्य की गवाही देती हैं कि जब नीतियों को पूरी तरह से नई संरचना प्रदान की गई, तो इससे नाटकीय प्रगति हुई। वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत में भारत द्वारा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण ऐसा ही एक उदाहरण है।
- कल्याणकारी उपायों का त्वरित और निर्बाध कार्यान्वयन: निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ ही पेशेवरों को शामिल करने का प्रयोग न केवल हमारे संसदीय लोकतंत्र को मज़बूत करेगा, बल्कि आम आदमी के लिये कल्याणकारी उपायों के त्वरित और निर्बाध कार्यान्वयन में भी मदद करेगा।
  - संकट प्रबंधन और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में, कौशल निश्चय ही पेशेवरों को मंत्रिमंडल में अपने निर्वाचित समकक्षों के मुकाबले एक अतिरिक्त बढ़त प्रदान करता है।
- रणनीतिक बौद्धिक और प्रबंधकीय कौशल: जबकि उन्हें कार्यबल और आम जनता की स्वीकृति और भरोसा हासिल करने के लिये शुरू में संघर्ष करना पड़ सकता है, किंतु टीम प्रयास को प्रोत्साहित करने की उनकी क्षमता जल्द ही उनके पक्ष में कार्य करने लगती है।
  - इसके अलावा, उनके प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए, संघर्षों, विवादों और विरोधों से निपटने के मामले में वे सरकार के लिये अत्यधिक मूल्यवान हो सकते हैं।

नोट :

- इसके साथ ही, उनके रणनीतिक बौद्धिक और प्रबंधकीय कौशल का उपयोग आपस में संघर्षरत हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने के लिये किया जा सकता है। इस प्रकार, सरकार में उनकी संलग्नता शासन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।

नौकरशाहों को मंत्रियों के रूप में शामिल करने की चुनौतियाँ

- निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं: नौकरशाह निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होते हैं और अपने कर्तव्यों की पूर्ति में कई बार लोगों की इच्छा की उपेक्षा भी कर सकते हैं।
  - इसलिये, कई बार कहा जाता है कि लोकलुभावन राजनीति लोकतंत्र की अवधारणा का समर्थन करती है और लोगों की आवाज़ को सुनती है।
  - लेकिन अनुभवी राजनेताओं को हमेशा इस बात की बेहतर समझ होती है कि लोग क्या चाहते हैं। वे लोगों की नब्ज़ बेहतर समझते हैं।
- भूगोल, जनसांख्यिकी, जलवायु, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक संरचनाओं के संबंध में भारत की विविधता को देखते हुए अलग-अलग स्थानों पर इसकी समस्याओं के लिये विशेष उपचार की आवश्यकता होती है।
  - 'वन-साइज़-फिट्स-ऑल' का दृष्टिकोण इसकी सभी समस्याओं के लिये, विशेष रूप से नीति निष्पादन के मामले में, रामबाण उपचार नहीं हो सकता।
  - इस प्रकार, मंत्रिमंडल में समुदायों के व्यापक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, निजी तौर पर चुने हुए नौकरशाहों को शामिल करने से मंत्रिपरिषद में समावेशन के बजाय भागीदारी के बहिर्वेशन की स्थिति बन सकती है।

आगे की राह

- शासन की संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना: संसद भारत में सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। राजनीतिक प्रतिनिधि निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करता है।
  - इसलिये, संसदीय कार्यकलाप की बेहतर प्रथाओं और प्रक्रियाओं को विकसित करने और बदलते समय के अनुरूप संसद को एक गतिशील संस्था बनाने की आवश्यकता है।
- 'ओपन गवर्नमेंट' शासन सुधार का एक प्रमुख तत्व है: सरकार के कार्यकरण में व्याप्त गोपनीयता का वातावरण कदाचार को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पूर्व-नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि निर्णय बंद दरवाज़ों के पीछे लिये जाते हैं।
  - इस प्रकार, भारत में सूचना का अधिकार (Right to Information- RTI) प्रणाली को मज़बूत बनाया जाना आवश्यक है।
- शासन नहीं, सुशासन की आवश्यकता: सरकार और प्रशासन का उद्देश्य 'सुशासन' की प्राप्ति होना चाहिये।
  - सुशासन सहभागिता, सर्वसम्मति-उन्मुखता, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायिता, प्रभाविता एवं कुशलता, न्यायसंगतता और समावेशन जैसी विशेषताओं से परिलक्षित होता है और विधि के शासन का पालन करता है।
- स्थानीय स्वशासन का क्षमता निर्माण: स्थानीय स्वशासन के पास अपने कार्यों की पूर्ति के लिये मानव संसाधनों, ज्ञान (कौशल-आधारित और व्यावहारिक ज्ञान) और आधारभूत संसाधनों की कमी है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, लगातार बढ़ती वैश्विक और घरेलू सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए, भारतीय संसदीय प्रणाली के लिये निर्वाचित प्रतिनिधियों और नौकरशाहों/पेशेवरों के बीच एक उपयुक्त संतुलन वर्तमान समय की मांग है।

सरकार के लिये शासन में सुधार और अपने लोगों तक सेवा की आपूर्ति के लिये दोनों की भागीदारी महत्त्वपूर्ण होगी।

वैश्विक समाज में कर न्याय

संदर्भ

हाल ही में पेंडोरा पेपर्स जाँच से खुलासा हुआ कि विश्व के कई सर्वाधिक अमीर लोगों द्वारा कराधान से बचने के लिये टैक्स हेवेन्स और अन्य भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल किया गया। इसने 'कर न्याय' (Tax Justice) की अवधारणा पर प्रकाश डाला है और कर दुरुपयोग तथा टैक्स हेवेन्स की समाप्ति को मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे के रूप में देखने हेतु मज़बूर किया है।

नोट :

'कर न्याय' का सरल अर्थ यह है कि उन लोगों द्वारा कर का भुगतान किया जाना चाहिये जिन पर यह देय है। 'कर न्याय' की अवधारणा में यह शामिल है कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा समान रूप से कर का भुगतान किया जाना चाहिये, जो इसके भागी हैं।

वर्तमान परिदृश्य

- वार्षिक वैश्विक हानि: 'टैक्स जस्टिस इंस्टिट्यूट' द्वारा प्रकाशित 'स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस रिपोर्ट 2000' के अनुसार, कर दुरुपयोग (कर चोरी और कर परिहार) के कारण लगभग 427 बिलियन डॉलर की वार्षिक वैश्विक हानि हुई। इसमें से लगभग 245 बिलियन डॉलर की हानि बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs) द्वारा अपने लाभ को 'टैक्स हेवेन्स' में स्थानांतरित करने से हुई है, जबकि 182 बिलियन डॉलर की हानि अमीर व्यक्तियों द्वारा बाहरी मुल्कों (Offshore) में अपनी अघोषित संपत्तियों और आय को छुपाने के कारण हुई।
- असमान प्रभाव: कर चोरी का प्रभाव निम्न-आय वाले देशों पर अधिक होता है; वे उच्च-आय वाले देशों की तुलना में बहुत अधिक समतुल्य अनुपात की हानि उठाते हैं।
- उच्च-आय वाले देशों की भूमिका: यद्यपि, उच्च-आय वाले देशों को कर राजस्व में वार्षिक रूप से 382 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है, किंतु वे ही वैश्विक कर हानियों के 98% हिस्से को सुविधाजनक बनाने हेतु उत्तरदायी भी हैं।
  - 'टैक्स जस्टिस इंस्टिट्यूट' द्वारा प्रकाशित 'कॉर्पोरेट टैक्स हेवन इंडेक्स, 2021' ने पाया है कि 'आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन' (Organisation for Economic Co-operation and Development- OECD) के सदस्य देश संयुक्त रूप से विश्व के कॉर्पोरेट टैक्स दुरूपयोग जोखिमों के 68% के लिये उत्तरदायी हैं।
- भारत: भारत को टैक्स जस्टिस इंस्टिट्यूट द्वारा प्रकाशित 'वित्तीय गोपनीयता सूचकांक' (Financial Secrecy Index) में 47वाँ स्थान प्रदान किया गया।
  - वैश्विक कर दुरुपयोग के कारण भारत को प्रतिवर्ष 10 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। यह भारत की वार्षिक जीडीपी के 0.41% के बराबर है।
  - मॉरीशस, सिंगापुर और नीदरलैंड वे प्रमुख देश हैं, जिनके माध्यम से सर्वाधिक कर दुरुपयोग होता है।
  - एक सकारात्मक पक्ष यह है कि भारत किसी भी वैश्विक सूचकांक में कॉर्पोरेट 'टैक्स हेवन' के रूप में शामिल नहीं है। इस प्रकार, भारत किसी अन्य देश को कोई कर हानि नहीं पहुँचाता है।

कर चोरी को नियंत्रित करने हेतु उठाए गए कदम

वैश्विक कदम:

- OECD का 'इन्क्लूसिव फ्रेमवर्क स्टेटमेंट': इसके तहत 'टू-पिलर सलूशन' को अंगीकार किया गया है।
  - पहला स्तंभ लगभग 100 सबसे बड़ी और सर्वाधिक लाभदायक बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लागू होता है और वे अपने लाभ का एक हिस्सा उन देशों को पुन:आवंटित करते हैं जहाँ वे अपने उत्पादों की बिक्री करते हैं और अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं।
  - दूसरे स्तंभ के अंतर्गत 750 मिलियन यूरो से अधिक के वार्षिक राजस्व वाली कोई भी कंपनी शामिल है, जो अब 15 प्रतिशत की प्रभावी न्यूनतम दर के अधीन होगी।
  - OECD के अनुसार, वैश्विक न्यूनतम कर प्रति वर्ष अतिरिक्त वैश्विक कर राजस्व में लगभग 150 बिलियन डॉलर का सृजन कर सकता है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम:

- विधायी कार्रवाई:
  - भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (The Fugitive Economic Offenders Act, 2018)
  - काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 [The Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015]
  - धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002)

नोट :

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:
  - दोहरा कराधान अपवंचन समझौता (Double Taxation Avoidance Agreements- DTAAs):
    - भारत दोहरा कराधान अपवंचन समझौतों (DTAAs)/कर सूचना विनिमय समझौतों (TIEAs)/बहुपक्षीय अभिसमयों पर दूसरे देशों की सरकारों के साथ सक्रिय रूप से संलग्न हो रहा है।
  - सूचना का स्वचालित आदान-प्रदान:
    - यह वित्तीय सूचना के सक्रिय साझाकरण द्वारा कर चोरी से निपटने के वैश्विक प्रयासों में उल्लेखनीय सहायता करेगा।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका का विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (Foreign Account Tax Compliance Act-FATCA)
    - भारत, FATCA के अंतर्गत अमेरिका के साथ एक सूचना साझाकरण समझौते में शामिल हुआ है।

आगे की राह

- कर न्याय के 'ABCs' उपाय: सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को कॉर्पोरेट और निजी कर दुरुपयोग तथा अन्य भ्रष्टाचार से निपटने के लिये डिज़ाइन किये गए तीन पारदर्शिता उपायों को लागू करना चाहिये। ये तीन 'ABC' उपाय हैं: 'सूचना का स्वचालित आदान-प्रदान' (Automatic exchange of information), 'लाभ-प्राप्तकर्त्ता स्वामित्व पंजीकरण' (Beneficial ownership registration) और 'देश-दर-देश रिपोर्टिंग' (Country by country reporting)।
  - 'सूचनाओं का स्वत: आदान-प्रदान' देशों के बीच डेटा साझा करने का एक अभ्यास है, जो प्रत्येक देश में सीमा पार लेनदेन करने वाले निगमों और व्यक्तियों के बारे में सूचना के आदान-प्रदान की अनुमति देता है।
  - 'लाभ-प्राप्तकर्त्ता स्वामित्व पंजीकरण' का आशय कंपनियों और अन्य इकाइयों के लाभ-प्राप्तकर्त्ता स्वामियों की पहचान करने के एक अभ्यास से है। एक लाभ-प्राप्तकर्त्ता स्वामी वह वास्तविक व्यक्ति होता है, जो अंतिम रूप से किसी कंपनी या कानूनी इकाई का स्वामी होता है, उसका नियंत्रण करता है या उससे लाभ प्राप्त करता है। यह उस कॉर्पोरेट परदे को उठाएगा, जिसके पीछे कई लोग जवाबदेही से बचने के लिये छिपे रहते हैं।
  - 'देश-दर-देश' सार्वजनिक रिपोर्टिंग एक लेखांकन अभ्यास है जिसे उन बहुराष्ट्रीय निगमों को बेनकाब करने के लिये डिज़ाइन किया गया है जो निम्न कर भुगतान करने के उद्देश्य से अपने लाभ को 'टैक्स हेवन' में स्थानांतरित कर रहे हैं।
- एकात्मक कराधान (Unitary Taxation): यह बहुराष्ट्रीय निगमों पर कर अधिरोपित करने हेतु उनके द्वारा स्थापित शेल कंपनियों (यानी टैक्स हेवेन) की अवस्थिति के बजाय उनकी वास्तविक अवस्थिति (यानी जहाँ वे कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, कारखानों का संचालन करते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री करते हैं) के आधार पर कर लगाने का एक तरीका है।
- संयुक्त राष्ट्र कर अभिसमय (UN Convention on Tax): 'संयुक्त राष्ट्र कर अभिसमय' की स्थापना से अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों को विश्व भर के देशों की आवश्यकता और आकांक्षा के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र में एक वास्तविक प्रतिनिधि प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जा सकेगा। संयुक्त राष्ट्र कर अभिसमय दुनिया भर के देशों को कॉर्पोरेट कराधान, वित्तीय पारदर्शिता और कर न्याय के कानूनी रूप से बाध्यकारी और न्यायसंगत मानदंडों के लिये एकसूत्र कर सकता है।
- ग्लोबल एसेट रजिस्टर: यह समग्र धन और संपत्तियों की एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाने का प्रस्ताव है, जो नीति निर्माताओं और जनता को वैश्विक कर दुरुपयोग से निपटने और असमानता को दूर करने के लिये आवश्यक डेटा प्रदान करेगा।
- भारत-विशिष्ट सुझाव:
  - कंपनियों द्वारा इस संबंध में अधिकाधिक प्रकटीकरण किया जाना चाहिये कि वे कितना लाभ कमाते हैं और जिन देशों में वे सक्रिय हैं, उनमें से प्रत्येक देश मं। कितने कर का भुगतान करते हैं।
  - भारतीय वित्त संहिता (Indian Finance Code): भारत में कराधान कानूनों के सरलीकरण की आवश्यकता है। इस संदर्भ में 'वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग' (Financial Sector Legislative Reforms Commission) की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता है।
    - आयोग ने भारतीय वित्त संहिता का प्रस्ताव किया है, जिसमें भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिये नए कानून शामिल होंगे।

नोट :

- अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास को अपनाना: भारत अपने कर कानूनों को संशोधित करने के विकल्प पर विचार कर सकता है, ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों के साथ संरेखित किया जा सके और निष्पक्ष एवं न्यायसंगत उपचार के संरक्षण के पारंपरिक मानक को इसमें शामिल किया जा सके।
  - इसके साथ ही, भारत को 'मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि' (Model BIT) में ओपन-एंडेड खुली शर्तों को स्पष्ट करना चाहिये। इससे भारत को विवादों का न्यूनतम सामना करना पड़ेगा।

निष्कर्ष

- कॉर्पोरेट कर दुरुपयोग असमानता को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार का पोषण करता है और लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। इस अन्यायपूर्ण परिदृश्य में सुधार के लिये हमें सर्वाधिक अमीर बहुराष्ट्रीय निगमों की इच्छाओं को प्राथमिकता देने के बजाय समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को समान महत्त्व देने हेतु अपनी कर और वित्तीय प्रणालियों को नया रूप प्रदान करना चाहिये।
- भारत और अन्य विकासशील देशों को अपने कर राजस्व में वृद्धि की विशेष आवश्यकता हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी आवश्यक गतिविधियों के लिये व्यय कर सकने में सक्षम हों। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यह आवश्यक है कि कर न्याय की प्राप्ति के लिये एक न्यायसंगत कर प्रणाली स्थापित की जाए।

भुखमरी: एक वैश्विक चुनौती

संदर्भ

भारत 116 देशों के 'वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2021' (GHI) में 94वें (वर्ष 2020) स्थान से फिसलता हुआ 101वें स्थान पर पहुँच गया है। 38.8 के स्कोर के साथ, भारत में व्याप्त भुखमरी का स्तर 'गंभीर' श्रेणी का है। इसने भारत की पोषण नीति में परिवर्तन लाने की तात्कालिकता और आवश्यकता को प्रकट किया है।

'वैश्विक भुखमरी सूचकांक' के निष्कर्ष

वैश्विक भुखमरी सूचकांक के कुल चार घटक हैं। इन चार घटकों में भारत का प्रदर्शन इस प्रकार है—

- अल्पपोषण: जनसंख्या में अल्पपोषितों की हिस्सेदारी वर्ष 2018-2020 में 15.3% पाई गई।
- चाइल्ड स्टंटिंग: 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग की व्यापकता वर्ष 2016-2020 में 34.7% रही।
- चाइल्ड वेस्टिंग: 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वेस्टिंग की व्यापकता वर्ष 2016-2020 में 17.3% रही।
- बाल मृत्यु दर: 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर वर्ष 2019 में 3.4% पाई गई।
- विश्लेषण: वर्ष 2000 के बाद से भारत ने पर्याप्त प्रगति की है, लेकिन अभी भी चिंता के कई विषय, विशेष रूप से बाल पोषण के संबंध में, बने हुए हैं।
  - भारत का 'वैश्विक भुखमरी सूचकांक' स्कोर घटा है।
  - जनसंख्या में अल्पपोषितों का अनुपात और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अब अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर है।
  - यद्यपि चाइल्ड स्टंटिंग में उल्लेखनीय कमी देखी गई है, किंतु इसका स्तर अभी भी अति उच्च बना हुआ है।
  - समय के साथ प्रगति के बावजूद, भारत में GHI में शामिल सभी अन्य देशों की तुलना में उच्चतम चाइल्ड वेस्टिंग दर विद्यमान है।

कुपोषण के कारण

- भारत में कुपोषण के कई आयाम हैं, जिनमें शामिल हैं—
  - कैलोरी की कमी: यद्यपि सरकार के पास खाद्यान्न का अधिशेष मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद देश भर में कैलोरी की कमी है, क्योंकि आवंटन और वितरण उचित की कमी है। यहाँ तक कि आवंटित वार्षिक बजट का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है।
  - 'प्रोटीन हंगर': प्रोटीन हंगर को दूर करने में दालों का बड़ा योगदान है। लेकिन समस्या से निपटने के लिये पर्याप्त बजटीय आवंटन नहीं किया गया है। विभिन्न राज्यों में 'मिड-डे मील' में अंडे शामिल नहीं हैं, जिससे प्रोटीन ग्रहण में सुधार ला सकने का एक सुगम अवसर खो जाता है।

नोट :

- सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (जिसे 'प्रच्छन्न भुखमरी' के रूप में भी जाना जाता है): भारत सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी के गंभीर संकट का सामना कर रहा है। इसके कारणों में खराब आहार, बीमारी, या गर्भावस्था एवं दुग्धपान के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं किया जाना शामिल हैं।

- अन्य कारण: पौष्टिक भोजन तक पहुँच पोषण के निर्धारकों में से केवल एक है। कुछ अन्य कारक जो इस निराशाजनक स्थिति में अपना योगदान देते हैं—
  - सुरक्षित पेयजल तक बदतर पहुँच;
  - स्वच्छता (विशेष रूप से शौचालय) तक बदतर पहुँच;
  - टीकाकरण का निम्न स्तर; और
  - शिक्षा—विशेषकर महिलाओं की शिक्षा की बुरी स्थिति।

सरकार का हस्तक्षेप

- 'ईट राइट इंडिया मूवमेंट': भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा नागरिकों को सही तरीके से भोजन ग्रहण करने हेतु आयोजित एक आउटरीच गतिविधि।
- पोषण (POSHAN) अभियान: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया यह अभियान स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर बालिकाओं में) को कम करने का लक्ष्य रखता है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित यह केंद्र प्रायोजित योजना एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, जो 1 जनवरी, 2017 से देश के सभी ज़िलों में लागू किया जा रहा है।
- फूड फोर्टिफिकेशन: फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेंट का आशय चावल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में प्रमुख विटामिनों और खनिजों (जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन A और D) को संलग्न करने की प्रक्रिया है, ताकि उनकी पोषण सामग्री में सुधार लाया जा सके।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013: यह कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System) के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
- मिशन इंद्रधनुष: यह 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 वैक्सीन-निवारक रोगों (VPD) के विरुद्ध टीकाकरण के लिये लक्षित करता है।
- एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना: 2 अक्तूबर, 1975 को शुरू की गई यह योजना 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं को छह सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं:
  - पूरक पोषण,
  - प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा,
  - पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा,
  - टीकाकरण,
  - स्वास्थ्य जाँच और
  - रेफरल सेवाएँ।

आगे की राह

- कृषि-पोषण लिंकेज योजनाओं (Agriculture-Nutrition linkage schemes) में कुपोषण से निपटने के मामले में व्यापक प्रभाव उत्पन्न कर सकने की क्षमता है और इस लिये इन पर अधिक बल देने की आवश्यकता है।
  - इस लिंकेज के महत्त्व को स्वीकार करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2019 में भारतीय पोषण कृषि कोष की शुरुआत की है।

नोट :

- ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण-कृषि लिंकेज गतिविधियों हेतु निर्देशित योजनाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हालाँकि इसका क्रियान्वयन भी काफी महत्त्वपूर्ण है।
- शीघ्र निधि संवितरण: सरकार को निधियों का शीघ्र संवितरण और पोषण से जुड़ी योजनाओं में धन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- संसाधनों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना: कई बार इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि विभिन्न पोषण-आधारित योजनाओं के तहत किया गया व्यय इस मद में आवंटित धन की तुलना में पर्याप्त कम रहा है। इसलिये, क्रियान्वयन पर अधिक बल देने की आवश्यकता है।
- अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण: पोषण का विषय महज़ आहार तक ही सीमित नहीं होता है और आर्थिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता, लैंगिक दृष्टिकोण और सामाजिक मानदंड जैसे कारक भी बेहतर पोषण में योगदान करते हैं। यही कारण है कि अन्य योजनाओं का उचित क्रियान्वयन भी बेहतर पोषण में योगदान दे सकता है।
- स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन आदि का पोषण-संबंधी योजनाओं के साथ अभिसरण भारत के पोषण परिदृश्य में समग्र परिवर्तन लाएगा।
- मध्याह्न भोजन योजना: मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराकर स्कूली बच्चों के पोषण में वृद्धि करना है। प्रत्येक राज्य के मेनू में दूध और अंडे को शामिल करने और जलवायु परिस्थितियों, स्थानीय खाद्य पदार्थों आदि के आधार पर मेनू तैयार करने से बच्चों को सही पोषण प्रदान करने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष

- विश्व में अल्पपोषित लोगों की सबसे बड़ी संख्या के साथ भारत को वर्ष 2030 तक 'जीरो हंगर' सतत् विकास लक्ष्य-2 की प्राप्ति के लिये तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रुरत है।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व बैंक के अनुसार, कुपोषण संज्ञानात्मक क्षमता, कार्य दिवसों और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
- इस अर्थ में, भारत की पोषण समस्या को दूर करने से न केवल बेहतर पोषण परिणाम प्राप्त होंगे, बल्कि एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
- नई GHI रैंकिंग के बहाने हमें अपनी नीतिगत प्राथमिकता और हस्तक्षेपों पर विचार करने और यह सुनिश्चित करने के लिये प्रेरित होना चाहिये कि वे प्रकट चिंताओं—विशेष रूप से कोविड-19 के कारण उत्पन्न पोषण असुरक्षा की समस्या, को प्रभावी रूप से संबोधित कर सकते हैं।

राजनीतिक दलों का लोकतंत्रीकरण

संदर्भ

लोकतांत्रिक सिद्धांत में प्रक्रियात्मक लोकतंत्र (Procedural Democracy) और वास्तविक लोकतंत्र (Substantive Democracy) दोनों शामिल हैं। यहाँ प्रक्रियात्मक लोकतंत्र से तात्पर्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव, गुप्त मतदान आदि के अभ्यास से है, जबकि वास्तविक लोकतंत्र राजनीतिक दलों—जो कथित तौर पर लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के आंतरिक लोकतांत्रिक कार्यकरण को संदर्भित करता है।

वर्तमान में भारतीय राजनीति के समक्ष विद्यमान विभिन्न प्रासंगिक चुनौतियों की जड़ें उम्मीदवारों के चयन और दलीय चुनावों में 'इंट्रा-पार्टी/अंतरा-दलीय लोकतंत्र' की कमी में ढूँढी जा सकती हैं ।

राजनीतिक दलों में लोकतंत्र की आवश्यकता

- प्रतिनिधित्व: 'इंट्रा-पार्टी/अंतरा-दलीय लोकतंत्र' के अभाव ने राजनीतिक दलों को संकीर्ण निरंकुश संरचनाओं में बदल दिया है। यह नागरिकों के राजनीति में भाग लेने और चुनाव लड़ सकने के समान राजनीतिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- गुटबाजी में कमी: इससे मज़बूत ज़मीनी संपर्क या जनाधार रखने वाले नेता को दल में दरकिनार नहीं किया जा सकेगा। जिससे पार्टी के भीतर गुटबाजी और विभाजन का खतरा कम हो जाएगा। उदाहरण के लिये भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (INC) छोड़कर शरद पवार ने राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी (NCP) और ममता बनर्जी ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) का गठन कर लिया था।

नोट :

- पारदर्शिता: पारदर्शी प्रक्रियाओं के साथ एक पारदर्शी दलीय संरचना, उपयुक्त टिकट वितरण और उम्मीदवार चयन को बढ़ावा देगी। ऐसे चयन पार्टी के कुछ शक्तिशाली नेताओं की इच्छा पर आधारित नहीं होंगे, बल्कि वे समग्र रूप से पार्टी की पसंद का प्रतिनिधित्त्व करेंगे।
- उत्तरदायित्त्व: एक लोकतांत्रिक दल अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होगा, क्योंकि अपनी कमियों के कारण वे आगामी चुनावों में हार सकते हैं।
- सत्ता का विकेंद्रीकरण: प्रत्येक राजनीतिक दल की राज्य और स्थानीय निकाय स्तर की इकाइयाँ होती हैं। दल में प्रत्येक स्तर पर चुनाव का आयोजन विभिन्न स्तरों पर शक्ति केंद्रों के निर्माण का अवसर देगा। इससे सत्ता या शक्ति का विकेंद्रीकरण हो सकेगा और ज़मीनी स्तर पर निर्णय लिये जा सकेंगे।
- राजनीति का अपराधीकरण: चूँकि भारत में चुनाव से पूर्व उम्मीदवारों को टिकटों के वितरण हेतु कोई सुव्यवस्थित प्रक्रिया मौजूद नहीं है, इसलिये उम्मीदवारों को बस उनके 'जीत सकने की क्षमता' की एक अस्पष्ट अवधारणा के आधार पर टिकट दिये जाते हैं। इससे धनबली-बाहुबली अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चुनाव मैदान में उतरने की अतिरिक्त समस्या उत्पन्न हुई है।

लोकतंत्र की कमी के कारण

- वंशवाद की राजनीति: अंतरा-दलीय लोकतंत्र की कमी ने राजनीतिक दलों में भाई-भतीजावाद (Nepotism) की प्रवृति में योगदान दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है।
- राजनीतिक दलों की केंद्रीकृत संरचना: राजनीतिक दलों के कार्यकरण का केंद्रीकृत स्वरूप और वर्ष 1985 में अधिनियमित दल-बदल विरोधी कानून, राजनीतिक दलों के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रीय और राज्य विधानमंडलों में अपने व्यक्तिगत पसंद या विवेक से मतदान करने से अवरुद्ध करता है।
- कानून की कमी: वर्तमान में भारत में राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतांत्रिक विनियमन के लिये कोई स्पष्ट प्रावधान मौजूद नहीं है और एकमात्र शासी कानून 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 29A द्वारा प्रदान किया गया है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग में राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। हालाँकि, राजनीतिक दलों द्वारा अपने पदाधिकारियों के चयन हेतु नियमित रूप से आंतरिक चुनाव आयोजित किये जाते हैं, किंतु किसी दंडात्मक प्रावधान के अभाव में यह अत्यंत सीमित ही है।
- व्यक्ति पूजा: प्राय: आम लोगों में नायक पूजा की प्रवृत्ति होती है और कई बार पूरी पार्टी पर कोई एक व्यक्तित्व हावी हो जाता है जो अपनी मंडली बना लेता है, जिससे सभी प्रकार के अंतरा-दलीय लोकतंत्र का अंत हो जाता है। उदाहरण के लिये माओत्से तुंग का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर आधिपत्य या अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी पर डोनाल्ड ट्रंप का प्रभाव।
- आंतरिक चुनावों को अप्रभावी करना: पार्टी में शक्ति समूहों द्वारा अपनी सत्ता को मज़बूत करने और यथास्थिति बनाए रखने के लिये आंतरिक संस्थागत प्रक्रियाओं को नष्ट करना बेहद सरल है।

अनुशंसाएँ

- विधि आयोग: चुनावी कानूनों के सुधार पर भारतीय विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में एक पूरा अध्याय राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र के लिये कानूनों की आवश्यकता को समर्पित किया गया है।
  - आयोग ने माना था कि कोई राजनीतिक दल, जो अपने आंतरिक कार्यकरण में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सम्मान नहीं करता है, उससे देश के शासन में मौजूद आधारभूत सिद्धांतों का सम्मान करने की आशा और अपेक्षा नहीं की जा सकती है।
- NCRWC रिपोर्ट: 'राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग' (National Commission for Review of Working of Constitution- NCRWC) ने माना है कि भारत में राजनीतिक दलों या गठबंधनों के पंजीकरण और कार्यकरण के विनियमन हेतु एक व्यापक विधायी व्यवस्था होनी आवश्यक है।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट: प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की द्वितीय रिपोर्ट (नैतिकता और शासन) ने उल्लेख किया है कि भ्रष्टाचार मुख्यत: अति-केंद्रीकरण के कारण ही होता है, क्योंकि जनता से जितनी दूर रहकर शक्ति का उपभोग किया जाता है, अधिकारिता और उत्तरदायित्त्व के बीच उतना ही व्यापक अंतराल होता है।

नोट :

आगे की राह

- आंतरिक चुनाव की अनिवार्यता के लिये कानून का निर्माण: यह राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि सभी स्तरों पर चुनाव आयोजन सुनिश्चित करने हेतु उचित कदम उठाए जाएँ। राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा नामित पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के आंतरिक चुनाव संपन्न कराने चाहिये।
- दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन: 'दल-बदल विरोधी कानून, 1985' पार्टी के निर्वाचित सदन सदस्यों को पार्टी 'व्हिप'- जो शीर्ष नेतृत्त्व के फरमानों पर तय होते हैं, के अनुरूप कार्य करने को बाध्य करता है। राजनीतिक दलों में लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देने का एक उपाय यह है कि अंतरा-दलीय असंतोष को अभिव्यक्त कर सकने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये।
  - दल-बदल विरोधी कानून को केवल उन मामलों में प्रयोग किया जाना चाहिये, जब अविश्वास प्रस्ताव जैसे अत्यंत महत्त्वपूर्ण अवसरों पर वे पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करते हैं।
- आरक्षण: महिलाओं, अल्पसंख्यकों और पिछड़े समुदाय के सदस्यों के लिये सीटें आरक्षित की जा सकती हैं।
- वित्तीय पारदर्शिता/लेखापरीक्षा: सभी राजनीतिक दलों के लिये यह अनिवार्य किया जाना चाहिये कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने व्यय का विवरण भारतीय निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करें। समय पर या निर्धारित प्रारूप में ये विवरण जमा नहीं करने वाले राजनीतिक दलों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिये।
- भारतीय निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाना:
  - निर्वाचन आयोग को आंतरिक चुनाव की आवश्यकता संबंधी किसी भी प्रावधान के गैर-अनुपालन के आरोपों की जाँच कर सके।
  - गैर-अनुपालन के लिये दंड की व्यवस्था: यदि राजनीतिक दल स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोजित नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग के पास दल का पंजीकरण रद्द करने की दंडात्मक शक्ति होनी चाहिये।

निष्कर्ष

राजनीति को राजनीतिक दलों से पृथक रखकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वे ही देश में लोकतंत्र के क्रियान्वयन के प्रमुख माध्यम होते हैं। राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शिता का प्रवेश वित्तीय और चुनावी जवाबदेही को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार को कम करने और समग्र रूप से देश के लोकतांत्रिक कार्यकरण में सुधार लाने हेतु महत्त्वपूर्ण है।

यह आवश्यक है कि राजनीतिक दल चुनावी राजनीतिक सुधारों की लगातार बढ़ती मांगों पर विचार करें और अंतरा-दलीय लोकतंत्र लाने की दिशा में कदम उठाएँ।

कट्टरपंथ का नीतिगत समाधान

आईएसआई आतंकी मॉड्यूल मामले में कई संदिग्धों की हालिया गिरफ्तारी से पता चलता है कि भारत में कट्टरपंथ का खतरा व्यापक रूप से मौजूद है और उसमें तेज़ी से वृद्धि हो रही है। हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा एक ISIS मॉड्यूल का भी भंडाफोड़ किया गया था। जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में सक्रियता के साथ इस मॉड्यूल की अखिल भारतीय उपस्थिति का पता चला। अन्वेषण से उजागर हुआ कि सदस्यों की भर्ती से लेकर चरमपंथी गतिविधियों की तैयारी और/या निष्पादन तक ऑनलाइन कट्टरता प्रसार की उल्लेखनीय भूमिका रही।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कट्टरपंथ को सभी सदस्य देशों की सुरक्षा और बचाव के लिये सबसे बड़े ख़तरे के रूप में चिह्नित किया था। उन्होंने सदस्य देशों से अपेक्षा की थी कि वे इन चुनौतियों पर ध्यान देंगे और प्रभावी प्रतिक्रियाओं का निर्माण करेंगे। इन प्रतिक्रियाओं को मोटे तौर पर चार शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है—डिरेडिकलाइज़ेशन, काउंटर-रेडिकलाइज़ेशन, एंटी-रेडिकलाइज़ेशन और डिसएंगेजमेंट। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत को उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ना चाहिये और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान रखते हुए व्यवस्थित प्रतिक्रियाओं का विकास करना चाहिये।

कट्टरता के पीछे के कारक

- व्यक्तिगत सामाजिक-मनोवैज्ञानिक कारक: जिसमें अलगाव एवं बहिष्करण, क्रोध एवं निराशा और अन्याय का शिकार होने की एक मज़बूत भावना जैसी शिकायतें और आवेग शामिल हैं।

नोट :

- सामाजिक-आर्थिक कारक: जिसमें सामाजिक बहिष्करण, वंचना और भेदभाव का शिकार होना (वास्तविक रूप से या कथित रूप से), शिक्षा या रोजगार के सीमित अवसर आदि शामिल हैं।
- राजनीतिक कारक: जिसमें कमज़ोर और गैर-भागीदारीपूर्ण राजनीतिक प्रणालियाँ शामिल हैं जो सुशासन और नागरिक समाज के प्रति सम्मान की कमी रखती हैं।
- सोशल मीडिया: जो समान विचारधारा वाले चरमपंथी विचारों के लिये कनेक्टिविटी, आभासी भागीदारी और एक ईको-चैंबर प्रदान करती है और इस तरह कट्टरता के प्रसार की प्रक्रिया को तेज़ करती है।
- धार्मिक कारक: जहाँ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट (IS) जैसे संगठनों ने विश्व भर में अपने प्रभाव की वृद्धि के लिये धर्म का इस्तेमाल किया।

भारत में कट्टरता या अतिवाद के प्रकार

- राजनीतिक-धार्मिक अतिवाद: यह धर्म की राजनीतिक व्याख्या और धार्मिक पहचान पर कथित हमले की हिंसक तरीके से रक्षा करने के दृष्टिकोण से संबद्ध है।
  - पूरी दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिये ISIS द्वारा धर्म का इस्तेमाल करना इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
- दक्षिणपंथी अतिवाद: यह फासीवाद, जातिवाद/नस्लवाद, सर्वोच्चतावाद और अतिराष्ट्रवाद से संबद्ध कट्टरपंथ का एक रूप है।
- वामपंथी अतिवाद: कट्टरपंथ का यह रूप मुख्य रूप से पूँजीवाद विरोधी माँगों पर केंद्रित है और सामाजिक विषमताओं के लिये उतरदायी राजनीतिक प्रणालियों में परिवर्तन का आह्वान करता है, और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अंतत: हिंसक साधनों को नियोजित करने का समर्थन करता है।

भारत में उठाए गए कुछ कदम

- संस्थागत उपाय: गृह मंत्रालय ने नवंबर 2017 में 'काउंटर-टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन' की स्थापना की थी।
  - यह प्रभाग वृहत रूप से आतंकवाद-रोधी कानूनों के कार्यान्वयन एवं प्रशासन और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI), पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जमात-ए-इस्लामी और सनातन संस्था जैसे कट्टरपंथी संगठनों की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करता है।
- विधायी उपाय: UAPA अधिनियम, 1967 और NIA अधिनियम, 2008 जैसे कानून कट्टरवाद संबंधी मुद्दों को संबोधित करते हैं।
  - इसके अलावा, उच्च गुणवत्तायुक्त नकली भारतीय मुद्रा के उत्पादन या तस्करी या संचलन को आतंकी कृत्य के रूप में आपराधिक घोषित कर और आतंकवाद के लिये इस्तेमाल की जा सकने वाली किसी भी संपत्ति को आतंकी कृत्य के दायरे में लाकर आतंकी वित्तपोषण से मुकाबला करने के लिये UAPA अधिनियम, 1967 में संशोधन कर इसे और सशक्त किया गया है।

आगे की राह

- कट्टरपंथ को परिभाषित करना: कट्टरपंथ को परिभाषित किये जाने से राज्य को ऐसे कट्टरपंथी विचारों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिये कार्यक्रमों और रणनीतियों को विकसित करने का अवसर मिलेगा, जिससे कट्टरता से प्रेरित हिंसा की समस्या का समाधान होगा।
  - कट्टरता को परिभाषित किये जाने से कार्ययोजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य के संबंध में स्पष्टता प्रदान करने में भी मदद करेगी।
- डी-रेडिकलाइज़ेशन रणनीतियों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना: भारत को डी-रेडिकलाइज़ेशन, काउंटर-रेडिकलाइज़ेशन और एंटी-रेडिकलाइज़ेशन रणनीतियों को अखिल भारतीय एवं अखिल विचारधारा के स्तर पर तत्परता से विकसित तथा लागू करना चाहिये।
  - इस तरह के प्रयासों को इस तथ्य का संज्ञान लेना चाहिये कि कट्टरता के विरूद्ध संघर्ष हिंसा के रूप में प्रकट होने से बहुत पहले दिमाग और दिल में शुरू हो जाता है।
  - कट्टरपंथ को रोकने या उलटने पर लक्षित किसी भी कार्यक्रम को हिंसा या हिंसा के औचित्य के बजाय हिंसा को सक्षम करने वाली वैचारिक प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- दुष्प्रचार के सीमा-पार प्रवाह पर नियंत्रण: सर्वप्रथम सीमा-पार से प्रेरित दुष्प्रचारों को रोकने के प्रयास किये जाने चाहिये।
  - रेडिकलाइज़ेशन, डी-रेडिकलाइज़ेशन और इससे संबद्ध रणनीतियों से निपटने के लिये एक सार्वभौमिक वैधानिक या नीतिगत ढाँचा विकसित किया जाना चाहिये।

नोट :

- पुनर्वास के उपाय: निवारण या प्रतिकार के उपाय के रूप में गिरफ्तार और दोषी व्यक्तियों पर न केवल मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित किया जाना चाहिये, बल्कि उनके सुधार और पुनर्वास को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- 'काउंटर-नैरेटिव' के विकास के माध्यम से भारत में धर्मों की समन्वित प्रकृति के प्रसार, संवैधानिक मूल्यों एवं गुणों को बढ़ावा देने और शैक्षणिक संस्थानों में खेल एवं अन्य गतिविधियों के प्रोत्साहन के माध्यम से युवाओं को मुख्यधारा में शामिल किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

इसके साथ ही, यह समझना आवश्यक है कि कट्टरता अपने आप में एक आवश्यक बुराई नहीं है, बल्कि यह इसके संदर्भ के आधार पर एक सकारात्मक या नकारात्मक विशेषता प्राप्त करती है। पारंपरिक सोच से महज विचलन मात्र को दंडित नहीं किया जाना चाहिये।

कट्टरता तभी समस्याजनक बनती है जब उसमें हिंसा की ओर ले जाने की प्रवृत्ति हो। इस प्रकार की कट्टरता पर नियंत्रण करना हमारी प्रमुख चुनौती है।

कट्टरता की प्रक्रिया के साथ-साथ इसकी विशेषताओं पर एक सूक्ष्म समझ विकसित कर इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की कार्ययोजना विकसित की जानी चाहिये।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

क्रिप्टो संपत्तियों का विनियमन

संदर्भ

प्राय: यह माना जाता है कि क्रिप्टो संपत्तियाँ, क्रिप्टो वित्त को अधिक समावेशी और विकेंद्रीकृत बनाती हैं। लेकिन भारत के पास पहले से ही 'जन धन' के रूप में विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम मौजूद है। पिछले सात वर्षों में बैंकिंग पहुँच से दूर 430 मिलियन लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं। इनमें 55% के साथ बहुमत महिलाओं का रहा है। क्रिप्टो भारत में क्रियान्वित जन धन योजना के व्यापक स्तर से बराबरी नहीं कर सकता।

इसके अलावा, बिटकॉइन और एथरियम जैसी क्रिप्टो संपत्तियों का विनियमन विश्व स्तर पर चर्चा का विषय है। विभिन्न देश क्रिप्टो संपत्तियों के संबंध में प्रतिबंध लगाने, प्रतिबंध हटाने, पुन: प्रतिबंध लगाने और विनियमित करने जैसे विभिन्न चरणों से गुजर रहे हैं। निश्चय ही हम अन्य देशों के अनुभव से कुछ संकेत ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हमें भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप भारत में विकसित कुशल विनियमन की आवश्यकता है।

भारत में क्रिप्टो को अपनाए जाने के कारण

- भारत में क्रिप्टो संपत्तियों को अपनाए जाने का मुख्य कारण वित्तीय समावेशन नहीं है, बल्कि तीन ऐसे आकर्षक भारत-विशिष्ट कारण हैं जो क्रिप्टो को अपनाए जाने को प्रेरित करते हैं।
- भारत को नए वित्तीय पारितंत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित करने की इच्छा: बड़े वैश्विक वित्तीय संस्थान और निवेशक अपने पोर्टफोलियो में क्रिप्टो संपत्ति को भी शामिल कर रहे हैं।
  - वित्तीय फर्म, बैंक, फिनटेक और क्रिप्टो स्टार्टअप उद्योग के व्यापक विकास का लाभ उठा सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STPs) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) ने आईटी सेवाओं के विकास को सक्षम बनाया है।
  - रचनात्मक 'क्रिप्टो एक्सपोर्ट ज़ोन' योजनाएँ उत्कृष्टता समूहों को विकसित कर सकती हैं और विश्वस्तरीय वित्तीय सेवा फर्म एवं यूनिकॉर्न का सृजन कर सकती हैं।
- नई प्रौद्योगिकी और सेवा अवसरों का लाभ उठाना: ब्लॉकचेन अनुप्रयोग विकास, इसकी मापनीयता, सुरक्षा और एनालिटिक्स आईटी सेवाओं के लिये अगले चरण के विकास अवसरों का निर्माण करते हैं। इस मांग की पूर्ति के लिये क्रिप्टो टेक विशेषज्ञता रखने वाले एक बड़े टैलेंट पूल की आवश्यकता है।
- वित्तीय नवाचार का दायरा: ब्लॉकचेन के उपयोग से प्रौद्योगिकी नवाचार और व्यापार मॉडलों में भारी वृद्धि हुई है। वर्तमान में ब्लॉकचेन संबंधी कई एप्लीकेशन्स मौजूद हैं और भविष्य में इनकी संख्या और अधिक बढ़ सकती है।

प्रमुख नियामक चिंताएँ

- निवेशक सुरक्षा: भारतीय नियामकों के लिये निवेशकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। भारत में प्राय: क्रिप्टो संपत्ति को उच्च जोखिमयुक्त संपत्ति के रूप में देखा जाता है। ऐसे में निवेशकों को शिक्षित किये जाने और 'मिस-सेलिंग' के विरुद्ध दिशा-निर्देश जारी किये जाने संबंधी उपाय किये जाने आवश्यकता हैं।
  - क्रिप्टो संपत्ति को अब डिजिटल मुद्राओं के बजाय डिजिटल संपत्ति के रूप में अधिक देखा जाता है।
  - उन्हें 'कमोडिटी' की तरह विनियमित करना और उनके कर उपचार को स्पष्ट करना लाभ का सौदा होगा। इससे सरकार के कर राजस्व में वृद्धि हो सकती है।
  - यह कर दाखिल करने वालों की संख्या (वित्त वर्ष 2020 में केवल 64 मिलियन) और करदाताओं की संख्या (14 मिलियन) में भी वृद्धि कर सकता है।

नोट :

- मौजूदा नियमों को दरकिनार करना: कुछ क्रिप्टो संपत्तियाँ लोगों को प्रतिभूति जारी करने के कानूनों को दरकिनार करने का अवसर दे सकती हैं। यह आर्थिक स्थिरता के लिये एक संभावित जोखिम उत्पन्न करता है।
  - यदि क्रिप्टो धारकों के लिये एक विशेष स्तर से ऊपर की होल्डिंग्स को अपने टैक्स फॉर्म्स में दर्शाना अनिवार्य कर दिया जाए तो ऐसी चिंताओं को कम किया जा सकता है।
- अवैध हस्तांतरण: क्रिप्टो संपत्तियों का बेनामी हस्तांतरण धन-शोधन विरोधी कानूनों या आतंकी वित्तपोषण पर नियंत्रण के लिये मौजूद नियमों को कमज़ोर कर सकता है। यह संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या उत्पन्न कर सकता है।

विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने से संबद्ध समस्याएँ

- पूर्ण प्रतिबंध: 'क्रिप्टोकरेंसी प्रतिबंध एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक, 2021' (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करता है।
  - हालाँकि, क्रिप्टोकरेंसी को सार्वजनिक (सरकार-समर्थित) या निजी (किसी व्यक्ति के स्वामित्व के अंतर्गत) के रूप में वर्गीकृत करना दोषपूर्ण है, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी विकेंद्रीकृत हैं, लेकिन निजी नहीं हैं।
  - बिटकॉइन जैसी विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी को निजी या सार्वजनिक किसी भी निकाय द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
- ब्रेन-ड्रेन: क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध के परिणामस्वरूप भारत से प्रतिभा और व्यवसाय दोनों का पलायन हो सकता है, जैसा कि रिज़र्व बैंक के वर्ष 2018 के प्रतिबंध के बाद हुआ था।
  - उस समय ब्लॉकचेन विशेषज्ञ स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, एस्टोनिया और अमेरिका जैसे देशों में पलायन कर गए थे, जहाँ क्रिप्टो को विनियमित किया गया था।
  - पूर्ण प्रतिबंध से शासन, डेटा अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक रूप से उपयोग किये जा रहे ब्लॉकचेन नवाचार में अवरोध उत्पन्न होगा।
- परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी का अभाव: इस प्रतिबंध से भारत, उसके उद्यमी और नागरिक एक ऐसी परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी से वंचित हो जाएंगे, जिसे दुनिया भर में तेज़ी से अपनाया जा रहा है, जिसमें टेस्ला और मास्टरकार्ड जैसे कुछ बड़े और प्रमुख उद्यम भी शामिल हैं।
- एक अनुत्पादक प्रयास: विनियमन के बजाय प्रतिबंध लगाए जाने से एक समानांतर अर्थव्यवस्था का निर्माण हो जाएगा और इसके अवैध उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, जो प्रतिबंध के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगा।
  - यह प्रतिबंध आरोपित करना संभव भी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर क्रिप्टोकरेंसी की खरीद कर सकता है।
- विरोधाभासी नीतियाँ: क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाना इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्रालय (MeitY) के 'ब्लॉकचैन पर राष्ट्रीय रणनीति मसौदा, 2021' के साथ असंगत है, जिसने ब्लॉकचेन तकनीक को पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल तकनीक के रूप में स्वीकार किया है, जो इंटरनेट पर विश्वास की एक परत का निर्माण करती है।

आगे की राह

- विनियमन ही समाधान है: गंभीर समस्याओं को उभरने से रोकने के लिये विनियमन आवश्यक है। यह सुनिश्चित करेगा कि क्रिप्टोकरेंसी का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है और अत्यधिक बाज़ार अस्थिरता उत्पन्न नहीं हो रही, साथ ही यह संभावित घोटालों के खतरे से अनजान निवेशकों की भी रक्षा करेगा।
  - विनियमन को स्पष्ट, पारदर्शी और सुसंगत होना चाहिये और साथ ही यह अपने उद्देश्यों से पूर्णत: परिचित हो।
- क्रिप्टोकरेंसी की परिभाषा स्पष्ट करना: किसी विधिक एवं नियामक ढाँचे को सर्वप्रथम क्रिप्टोकरेंसी को प्रासंगिक राष्ट्रीय कानूनों के तहत प्रतिभूतियों या अन्य वित्तीय साधनों के रूप में परिभाषित करना होगा और प्रभारी नियामक प्राधिकरण की पहचान करनी होगी।
- कड़े केवाईसी (KYC) मानदंड: क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय सरकार को कड़े केवाईसी मानदंडों, रिपोर्टिंग और करदेयता (Taxability) के साथ क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार को विनियमित करने का प्रयास करना चाहिये।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करना: पारदर्शिता, सूचना उपलब्धता और उपभोक्ता संरक्षण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिये रिकॉर्ड कीपिंग, निरीक्षण, स्वतंत्र ऑडिट, निवेशक शिकायत निवारण और विवाद समाधान पर भी विचार किया जा सकता है।

नोट :

- उद्यमिता की भावना को प्रेरित करना: क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में उद्यमशीलता की लहर को प्रेरित कर सकती है और ब्लॉकचेन डेवलपर्स से लेकर डिज़ाइनरों, प्रोजेक्ट मैनेजरों, बिजनेस एनालिस्ट, प्रमोटर्स और मार्केटर्स तक विभिन्न स्तरों पर रोज़गार के अवसर उत्पन्न कर सकती है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, एक कुशल नियामक दृष्टिकोण को सभी संभावित लाभ-हानि पर विचार करना चाहिये। यह वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने, निवेशकों की सुरक्षा करने और भारतीय क्रिप्टो पारितंत्र के लिये अवसर के द्वार खोलने में योगदान कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद

संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने अपनी वर्ष 2021 की "विदेश व्यापार बाधाओं पर राष्ट्रीय व्यापार अनुमान रिपोर्ट" (National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers) में बताया है कि भारत की औसत टैरिफ दर 17.6% है जो किसी भी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में उच्चतम है।

अपने घरेलू उद्योगों की चीन एवं अन्य देशों द्वारा डंपिंग तथा अन्य व्यापार विकृति अभ्यासों से रक्षा करने के उद्देश्य से भारत ने अपनी टैरिफ दरों में वृद्धि की है और अपने अन्य गैर-टैरिफ उपायों को कठोर बनाया है।

यद्यपि व्यापार संरक्षणवाद (Trade protectionism) का अर्थव्यवस्था को तत्काल लाभ हो सकता है, लेकिन सभी अर्थशास्त्री सहमति रखते हैं कि दीर्घावधि में यह देश के आर्थिक हितों को नुकसान पहुँचाता है।

संरक्षणवाद के साधन

भारत के साथ ही अन्य देश अनुचित व्यापार अभ्यासों से अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिये विभिन्न उपाय अपनाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख उपाय हैं-

- टैरिफ: टैरिफ किसी देश की सरकार द्वारा माल के आयात या निर्यात पर लगाया जाने वाला कर है। उच्च टैरिफ विदेशी उत्पादकों के लिये किसी घरेलू बाज़ार में अपना माल बेचने की लागत बढ़ा देते हैं, जिससे स्थानीय उत्पादकों को रणनीतिक लाभ प्राप्त होता है।
  - भारत में विश्व के उच्चतम टैरिफ दरों में से एक लागू है।
- आयात कोटा: यह किसी देश विशेष से किसी निश्चित वस्तु की खरीद को संख्यात्मक रूप से सीमित रखने का उपाय है जो सुनिश्चित करता है कि घरेलू उत्पादक बाज़ार में अपनी एक हिस्सेदारी बनाए रखेंगे।
- स्थानीय सामग्री की आवश्यकता: आयात किये जा सकने वाले सामानों की संख्या पर एक कोटा आरोपित करने के बजाय सरकार यह आवश्यक बना सकती है कि किसी वस्तु का एक निश्चित प्रतिशत घरेलू स्तर पर उत्पादित किया जाए। भारत सरकार यह उपाय देश के अंदर रक्षा अनुबंधों और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के लिये अपनाती है।
- सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी (SPS) उपाय और व्यापार के लिये तकनीकी बाधाएँ (TBT) उपाय: विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत अन्य देशों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिये इन दो प्रकार के उपायों को अपनाने की अनुमति है। वे तकनीकी उत्पादों में किसी देश के मानक का पालन करने के लिये अन्य देशों को बाध्य भी करते हैं।
- एंटी-डंपिंग ड्यूटी: डंपिंग (Dumping) प्रतिस्पर्द्धा को दूर करने के लिये बाज़ार मूल्य से काफी कम मूल्य पर माल बेचने की प्रक्रिया है। भारत घरेलू उद्योग को आयात प्रतिस्पर्द्धा से बचाने के उद्देश्य से एंटी-डंपिंग उपायों को शुरू करने वाला प्रमुखतम देश है।
  - WTO के अनुसार, वर्ष 2015 से 2019 के बीच भारत ने 233 एंटी-डंपिंग जाँचों की शुरुआत की जो वर्ष 2011 से 2014 के बीच ऐसे 82 जाँचों की तुलना में तेज़ वृद्धि को दर्शाता है।
- 'रूल्स ऑफ ऑरिजिन': भारत ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत 'रूल्स ऑफ ऑरिजिन' में संशोधन किया है। भारत ने रूल्स ऑफ ऑरिजिन आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिये आयातकों पर भारी दबाव लागू कर रखा है।
  - प्रतीत होता है कि भारत ने यह शर्त इसलिये आरोपित की है ताकि आयातक भारत के मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भागीदारों से माल का आयात न कर सकें।

नोट :

संरक्षणवाद के पक्ष में तर्क

- राष्ट्रीय सुरक्षा: यह आर्थिक संवहनीयता के लिये अन्य देशों पर निर्भरता के जोखिम से संबंधित है। यह तर्क दिया जाता है कि युद्ध की स्थिति में आर्थिक निर्भरता विकल्पों को सीमित कर सकती है। इसके साथ ही, कोई देश किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकता है।
- नवजात उद्योग: यह तर्क दिया जाता है कि उद्योगों को उनके प्रारंभिक चरणों में संरक्षण प्रदान करने के लिये संरक्षणवादी नीतियों की आवश्यकता होती है। चूँकि बाज़ार खुला होता है, वैश्विक स्तर की बड़ी कंपनियाँ बाज़ार पर कब्जा कर सकती हैं। इससे नए उद्योग में घरेलू खिलाड़ियों के लिये अवसर का अंत हो सकता है।
- डंपिंग: कई देश अन्य देशों में अपने माल की डंपिंग (उत्पादन लागत या स्थानीय बाज़ार में उनकी कीमत से कम मूल्य पर बिक्री करना) करते हैं।
  - डंपिंग का उद्देश्य प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करते हुए विदेशी बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना और इस तरह एकाधिकार स्थापित करना होता है।
- नौकरियाँ बचाना: यह तर्क दिया जाता है कि घरेलू स्तर पर अधिकाधिक खरीदारी राष्ट्रीय उत्पादन को प्रेरित करती है और उत्पादन में यह वृद्धि एक स्वस्थ घरेलू रोज़गार बाज़ार के निर्माण में योगदान करती है।
- आउटसोर्सिंग: कंपनियों के लिये यह सामान्य अभ्यास है कि वे सस्ते श्रम और सरल शासन प्रणाली वाले देशों की पहचान करते हैं और वहाँ अपने रोज़गार कार्यों की आउटसोर्सिंग करते हैं। इससे घरेलू उद्योगों में नौकरियों का नुकसान होता है।
- बौद्धिक संपदा संरक्षण: किसी घरेलू प्रणाली में पेटेंट्स नवप्रवर्तकों की रक्षा करते हैं। हालाँकि, वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों के लिये रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से नई तकनीकों की नकल करना बेहद सामान्य बात है।

संरक्षणवाद के विरुद्ध तर्क

- व्यापार समझौते: भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों से व्यापक लाभ हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, भारत ने 54 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किये हैं।
  - वे टैरिफ रियायतें प्रदान करते हैं, जिससे लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) से संबंधित उत्पादों के साथ ही वृहत रूप से उत्पादों के निर्यात को अवसर प्राप्त होता है।
- WTO के विनियमों के विरुद्ध: भारत WTO की स्थापना के समय से ही इसका सदस्य रहा है। विश्व व्यापार संगठन के नियम अन्य देशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने पर रोक लगाते हैं।
  - ऐसे प्रतिबंध केवल भुगतान संतुलन की कठिनाइयों, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कुछ उद्देश्यों से ही आरोपित किये जा सकते हैं। घरेलू उद्योग को स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा से बचाने के लिये ऐसी बाधाएँ नहीं लगाई जा सकती हैं।
- मुद्रास्फीति-विषयक प्रवृत्ति: आयात को प्रतिबंधित करने जैसी संरक्षणवादी नीतियाँ घरेलू बाज़ार में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि ला सकती हैं, जिससे सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के हित प्रभावित होते हैं।
- अप्रतिस्पर्द्धी घरेलू उद्योग: स्थानीय उद्योगों को इस प्रकार संरक्षित किये जाने से उनके पास नए उत्पादों के लिये नवाचार या अनुसंधान और विकास पर संसाधनों के निवेश की कोई प्रेरणा नहीं होती।

आगे की राह

- 'कारोबार सुगमता' में सुधार: हालाँकि भारत ने कई दिशाओं में प्रगति की है, लेकिन व्यवसाय शुरू करने, अनुबंध लागू करने और संपत्ति को पंजीकृत करने जैसे संकेतकों में वह अभी भी कई बड़े देशों से पीछे है।
  - इन संकेतकों में सुधार से भारतीय फर्मों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा कर सकने और बड़ी बाज़ार हिस्सेदारी प्राप्त कर सकने में मदद मिल सकती है।
- 'मेक इन इंडिया': देश में नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये। यह भारतीय कंपनियों को भविष्य के क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धा कर सकने के लिये तैयार करेगा।
- निजी निवेश को बढ़ावा देना: इससे विकास, रोज़गार अवसरों, निर्यात और माँग को बढ़ावा मिलेगा।

नोट :

- अनुमान-योग्य और पारदर्शी व्यापार नीति: यह भारतीय फर्मों को अपनी क्षमता और वित्त की अग्रिम योजना तैयार कर सकने का अवसर देगी। वे विस्तार और अनुसंधान एवं विकास के लिये अपने संसाधनों का आवंटन कर सकने में सक्षम होंगे। इससे वे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धी बन सकेंगे।
- मुक्त व्यापार समझौते (FTAs): भारत को पूर्वी एशियाई देशों (आसियान), जापान, दक्षिण कोरिया आदि के साथ विशेष रूप से मुक्त व्यापार समझौतों का प्रभावी उपयोग करने की आवश्यकता है, ताकि इन देशों के साथ निवेश, निर्यात और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके।
- व्यापार संबंधी समस्याओं का समाधान: भारतीय व्यापार व्यवस्था में निवेशकों की शंकाओं को दूर करने के लिये अमेरिका और अन्य देशों के साथ व्यापार संबंधी समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत को घरेलू उद्योग के हितों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से FDI के रूप में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिये व्यापार रियायतें प्रदान करने के बीच एक बेहतर संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।

वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये व्यापक, बहुआयामी और बहु-क्षेत्रीय प्रयासों की ज़रूरत है।

दृष्टि The Vision

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी

'सॉफ्ट पॉवर' किसी देश की वह क्षमता होती है कि जिससे वह बिना बलप्रयोग या दबाव के दूसरे देशों को अपनी इच्छानुसार कार्य पूर्ति के लिये मना सकता है। किसी देश का सॉफ्ट पॉवर उसकी आकर्षणशीलता में निहित होता है और यह आकर्षणशीलता तीन स्रोतों से उत्पन्न होती है: इसकी संस्कृति, इसके राजनीतिक मूल्य और इसकी विदेश नीतियाँ।

ब्रांड फाइनेंस के 'ग्लोबल सॉफ्ट पॉवर इंडेक्स' के अनुसार, भारत सॉफ्ट पॉवर के मामले में विश्व में 27वें स्थान पर है। हालाँकि, भारत की मुख्य चुनौती अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं, विशेष रूप से आधारभूत संरचना परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की रही है। उदाहरण के लिये, ईरान के चाबहार बंदरगाह का विकास।

सॉफ्ट पॉवर के अनुकूल उपयोग की आवश्यकता

- सद्भावना के निर्माण के लिये: भारतीय लोकाचार और प्रथाओं ने इसे विश्व स्तर पर एक उदार छवि और व्यापक सद्भावना के निर्माण में मदद दी है, लेकिन इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण परियोजना पूर्ति भी नज़र आनी चाहिये।
- रणनीतिक निवेश के रूप में: व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से आकर्षक सार्वजनिक-निजी भागीदारी अवसंरचना परियोजनाओं में एक प्रमुख रणनीतिक निवेशक बनने के लिये भारत को अपने वादों को पूरा करने की आवश्यकता है।
- महामारी के बाद के परिवर्तन: सहयोग के बढ़ते दायरे और इस अनुभव के साथ कि वैश्विक समस्याओं के लिये वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है, 'विश्व के दवाखाना' (Pharmacy of the World) के रूप में भारत की भूमिका को महत्त्व प्राप्त हुआ है।
- व्यापार और निवेश प्रवाह: एक विश्वस्त और भरोसेमंद भागीदार होने की छवि के निर्माण के लिये भारत को अन्य देशों को भरोसा दिलाना होगा कि वह अपनी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति में सक्षम है। इसके परिणामस्वरूप फिर भारतीय बाज़ारों में व्यापार और निवेश प्रवाह की वृद्धि होगी।

भारत का पूर्ति ढाँचा

भारत का विकास सहयोग एक समग्र एकीकृत ढाँचे में अभिसरित हुआ है—एक ऐसा विकास संहत जिसके पाँच रूप या प्रकार हैं:

- क्षमता निर्माण:
  - भारत तीन मुख्य घटकों पर ध्यान केंद्रित करता है: भारत में प्रशिक्षण प्रदान करना, विशेषज्ञों की टीमों को भागीदार देशों में भेजना और परियोजना स्थलों के लिये उपकरण प्रदान करना। भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) सहित विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर भी बड़े मुद्दों को उठाया है।
- रियायती वित्त:
  - रियायती वित्तपोषण भारत के विकास सहयोग पोर्टफोलियो का लगभग 70% है।
  - भारत सरकार द्वारा भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (IDEAS) के तहत भारतीय आयात-निर्यात बैंक के माध्यम से रियायती ऋण सहायता (Lines of Credit- LOCs) के रूप में विकास सहायता प्रदान की जाती है। 30.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की कुल 306 ऋण सहायता (LOCs) 65 देशों को प्रदान की गई है।
- प्रौद्योगिकी की साझेदारी:
  - नवाचार और उद्यमिता देश के भीतर और बाहर, दोनों ही दिशाओं में प्रमुख सॉफ्ट पॉवर होनी चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, इथियोपिया में भारतीय इंजीनियरों सिंचाई, बिजली और रेलवे प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया है।

नोट :

- अनुदान:
  - भारत आधिकारिक विकास सहायता (Official Development Assistance- ODA) के रूप में प्रतिवर्ष 6.48 बिलियन डॉलर की विकास सहायता प्रदान करता है और प्रमुख भागीदारों से 6.09 बिलियन डॉलर की सहायता प्राप्त करता है।
- व्यापार:
  - भारत अपने बाज़ार में ड्यूटी-फ्री और कोटा-फ्री पहुँच प्रदान करने के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। भारत उन कुछ देशों में से एक था जिसने सर्वप्रथम निम्न आय वाले देशों के लिये ड्यूटी-फ्री और कोटा-फ्री पहुँच की घोषणा की थी।
  - दूरसंचार, आईटी, ऊर्जा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में बड़े निवेश के साथ विश्व में भारतीय निजी निवेश में समय के साथ वृद्धि हुई है।

चिंताएँ/चुनौतियाँ

- संस्थागत ढाँचे का अभाव:
  - भारत को एक स्वतंत्र विकास साझेदारी एजेंसी की आवश्यकता है जो दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीतियाँ विकसित करे, प्राथमिकताओं की पहचान करे, ज्ञान निर्माण करे और सीखने की सुविधा प्रदान करे।
  - अपने अवसंरचनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये भारत को नीति-संबंधी और नौकरशाही-संबंधी आंतरिक संस्थागत बाधाओं को दूर करने की ज़रूरत है।
- वित्त की कमी:
  - आधारभूत संरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित कर सकने की सीमित क्षमता के साथ, भारत को अपने रणनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपने धन को तर्कसंगत रूप से आवंटित करने की आवश्यकता है।
  - इसके अलावा, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार और बाज़ार को खोलने के साथ भारत को अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिये धन संग्रह करने में मदद मिल सकती है।
- पूर्ति-घाटा राष्ट्र (Delivery-Deficit Nation):
  - भारत के पड़ोसी देश प्राय: भारत द्वारा बड़े वादे किये जाने लेकिन पूर्ति में चूक जाने की शिकायत करते रहे हैं।
  - भारत ने सड़क एवं रेल लाइनों के निर्माण, एकीकृत सीमा चौकियों की स्थापना या जल विद्युत परियोजनाओं आदि के रूप में जिन देशों में भी परियोजनाओं का परिचालन किया है, वहाँ इसकी पूर्ति में देरी जैसी शिकायतें सामने आई हैं।
- संरक्षणवाद:
  - संरक्षणवाद आर्थिक कूटनीति पर उल्लेखनीय प्रभाव डाल रहा है। एशियाई विकास बैंक (ADB) की एक रिपोर्ट के अनुसार व्यापार खुलेपन (trade openness) के मामले में भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 25 देशों में से 24वें स्थान पर है।
  - सीमाओं पर स्थापित एकीकृत जाँच चौकियों को ट्रकों की अतिरिक्त जाँच एवं कागजी कार्रवाई में देरी जैसी बोझिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है जिसमें समय और लाभ दोनों की खपत होती है।

आगे की राह

- संस्थागत संरचना का निर्माण:
  - समय की आवश्यकता है कि परिणामों के कुशल वितरण के लिये एक विशेष एजेंसी की स्थापना की जाए। उदाहरण के लिये, वर्ष 2018 में चीन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी की स्थापना की थी।
  - एक स्वतंत्र विकास साझेदारी एजेंसी की स्थापना—जो सूचनाओं की साझेदारी की सुविधा प्रदान करे और सरकारी विभागों के बीच नीति समन्वय के लिये एक मंच का निर्माण करे—समन्वित प्रयासों को सुनिश्चित करेगी, जो विकासात्मक लाभों और संसाधनों को शीघ्रता से जुटाने के लिये आवश्यक है।
  - इस एजेंसी को सरकार, निजी क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच समन्वय स्थापित करते हुए सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की पूर्ति की दिशा में कार्य करना होगा।

नोट :

- निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की संलग्नता:
  - भारतीय व्यवसायों के साथ अभिनव सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिये ताकि उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए भारत के विकास सहयोग लक्ष्यों को साकार किया जा सके।
- बहुपक्षीयता:
  - कोविड-19 ने दिखाया है कि वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौरान देशों के बीच सहयोग अलग-अलग देशों और भूभागों में आवश्यक प्रतिक्रिया को तेज़ कर सकता है। इसमें मौजूदा संसाधनों और क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करते हुए स्वास्थ्य में सुधार के लिये ज्ञान एवं अनुभवों का निर्माण करना, उन्ही अनुकूलित करना, हस्तांतरित करना और साझा करना शामिल है।
- नॉन-सॉवरेन फंड:
  - एशियाई विकास बैंक के प्राइवेट सेक्टर विंडो जैसा एक नॉन-सॉवरेन विंडो वृहत लचीलापन और अवसर प्रदान करेगा।
  - ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के अलावा, यह फंड अधूरी परियोजनाओं को भी अपने हाथ में ले सकता है और उसकी पूर्ति के लिये भविष्य की समय-सीमा तय कर सकता है।
- व्यापार खुलापन:
  - भारत को मंज़ूरी प्रक्रियाओं, आयात नीति बाधाओं, परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं, एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग उपायों को सुगम बनाने की दिशा में भी कार्य करने की आवश्यकता है।
  - भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने निवेश और व्यापार का विस्तार करना चाहिये ताकि वृहत क्षेत्रीय और आर्थिक एकीकरण का लाभ उठाया जा सके, जहाँ भारत अपनी पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं के लिये बंद के बजाय खुला अधिक हो।

निष्कर्ष

यह उपयुक्त समय है कि भारत गहन और प्रभावी संलग्नता के लिये और तेज़ी से उभर रहे नए प्रतिस्पर्द्धी विकास वित्तपोषण परिदृश्य को संबोधित करने के लिये अपने विकास वित्त तंत्र का पुनर्गठन करे।

जैम ट्रिनिटी, आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों और गति शक्ति जैसी अन्य पहलों के साथ भारत का अपना विकास अनुभव भी विकसित हो रहा है, जिसे पोर्टफोलियो में शामिल करते हुए सहयोगी विकासशील देशों के साथ साझा किया जाना चाहिये।

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

परमाणु ऊर्जा: दिशा और दशा

संदर्भ

हाल में विश्व को बिजली और ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा। यद्यपि विभिन्न देशों में इस आपात स्थिति के अलग-अलग कारण रहे, किंतु इसके परिणामस्वरूप जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने की मांग और तेज़ हो गई है।

हालाँकि, इन नवीकरणीय संसाधनों की 24X7 उपलब्धता के संदर्भ में वर्तमान हरित ऊर्जा प्रतिमान के गंभीर मूल्यांकन की आवश्यकता है।

यद्यपि परमाणु ऊर्जा वर्तमान में मनुष्य को ज्ञात ऊर्जा का सबसे सस्ता, हरित और सुरक्षित स्रोत हो सकता है, लेकिन जब भी 'परमाणु' शब्द सामने आता है तो इस पर तर्कपूर्ण तथ्य-आधारित प्रतिक्रिया के बजाय एक नकारात्मक और प्राय: उन्मादपूर्ण प्रतिक्रिया ही मिलती है।

भारतीय संदर्भ में, परमाणु ऊर्जा स्वच्छ ईंधन होने के बावजूद ऊर्जा स्रोतों की प्राथमिकता सूची से बाहर ही रही है। भारत वैश्विक परमाणु स्थापित क्षमता में महज़ 1.72% की हिस्सेदारी रखता है।

परमाणु ऊर्जा

- परमाणु ऊर्जा का निर्माण एक रिएक्टर में परमाणुओं को विखंडित कर किया जाता है, जिसका उपयोग जल को गर्म कर भाप बनाने, उससे टरबाइन चलाने और इस प्रकार बिजली उत्पन्न करने के लिये किया जाता है।
  - परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अंदर, परमाणु रिएक्टर और उनके उपकरण शृंखला प्रतिक्रियाओं को संतुलित और नियंत्रित करते हैं, जहाँ विखंडन के माध्यम से ऊष्मा के उत्पादन के लिये प्राय: यूरेनियम-235 ईंधन का उपयोग किया जाता है।
- परमाणु ऊर्जा उत्पादन से उत्सर्जन: परमाणु ऊर्जा शून्य-उत्सर्जन करती है। इसमें कोई ग्रीनहाउस गैस या वायु प्रदूषक नहीं होते।
- भूमि उपयोग: अमेरिकी सरकार के आँकड़ों के अनुसार, 1,000 मेगावाट क्षमता के परमाणु संयंत्र को इतनी ही क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र या 'विंड फार्म' की तुलना में 360 गुना कम और सौर संयंत्रों की तुलना में 75 गुना कम भूमि की आवश्यकता होती है।
- नवीकरणीय ऊर्जा बनाम परमाणु ऊर्जा:
  - नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत अस्थिर हैं: सौर और पवन ऊर्जा प्राय: अस्थिर स्रोत मानें जाते हैं। इन स्रोतों से बिजली तभी पैदा की जा सकती है, जब सूरज चमक रहा हो या पवन बह रही हो।
    - सर्वाधिक अनुकूल परिदृश्य में भी, सौर और पवन संयंत्र 24X7 बिजली उत्पन्न नहीं करते या नहीं कर सकते, ऐसे में जीवाश्म-ईंधन के अतिरिक्त उपयोग की आवश्यकता होती है।
    - वर्तमान में ब्रिटेन की 24% बिजली पवन ऊर्जा से प्राप्त होती है। लेकिन इस वर्ष उसे अप्रत्याशित 'पवन-विहीन ग्रीष्म' (Windless Summer) का सामना करना पड़ा, जो ब्रिटेन के बिजली संकट के प्रमुख कारणों में से एक है।
  - नवीकरणीय ऊर्जा से पारिस्थितिक क्षति: पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाएँ जिन क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं, वहाँ पारिस्थितिक क्षति का कारण बन सकती हैं।
    - मोटे तौर पर से यह अनुमान लगाया जाता है कि अमेरिका में पवन टरबाइनों से टकराकर प्रतिवर्ष 500,000 पक्षी मारे जा रहे हैं।
  - एक विकल्प के रूप में परमाणु ऊर्जा: सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों की अस्थिर प्रकृति के विपरीत, परमाणु ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रिक बेस लोड की पूर्ति और पीक लोड परिचालन—दोनों के लिये किया जा सकता है।
    - विदित है कि जर्मनी के घरेलू क्षेत्र में बिजली का मूल्य 0.37 डॉलर प्रति किलोवाट-घंटा (KwH) है, जो कि यूरोपीय संघ में सबसे अधिक है, जबकि फ्राँस में यह मात्र 0.19 डॉलर है।
    - फ्राँस में बिजली बहुत सस्ती और स्वच्छ है, क्योंकि फ्राँस मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा पर निर्भर है।
    - वर्ष 2020 में, फ्राँस द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का 78% परमाणु ऊर्जा से प्राप्त हुआ और नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 19% था। इसमें जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा की हिस्सेदारी केवल 3% थी।

नोट :

- परमाणु ऊर्जा और भारत: भारत ने डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते (Indo-US nuclear deal) पर हस्ताक्षर किये थे।
  - हालाँकि, सामान्य विरोध और अल्पकालिक राजनीतिक सोच के कारण इस दिशा में अधिक गंभीर कार्रवाई नहीं की गई और भारत द्वारा उत्पन्न बिजली में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी मात्र 3% है।
  - सितंबर 2021 में, भारत सरकार ने अगले 10 वर्षों में अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को तीन गुना कर लेने का लक्ष्य रखता है।

परमाणु ऊर्जा से संबद्ध समस्याएँ

- सार्वजनिक वित्तपोषण की कमी: परमाणु ऊर्जा को कभी भी उस स्तर की उदार सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई, जैसे अतीत में जीवाश्म ईंधन को प्राप्त हुई थी या वर्तमान में नवीकरणीय स्रोतों को प्रदान की जा रही है।
  - सार्वजनिक वित्तपोषण के अभाव में परमाणु ऊर्जा के लिये भविष्य में प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा से प्रतिस्पर्द्धा कर सकना कठिन हो जाएगा।
- परमाणु ऊर्जा को प्रतिस्पर्द्धा से बाहर रखने वाले कारक: दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा संबंधी बदतर आर्थिक व्यवस्था, निर्माण लागत में तेज़ वृद्धि—जो कि फुकुशिमा दुर्घटना के बाद और भी बदतर हो गई है, और सरकारी सब्सिडी पर भारी निर्भरता परमाणु ऊर्जा को अप्रतिस्पर्द्धी बना रही है।
- निवेशकों की खराब वित्तीय स्थिति: तोशिबा-वेस्टिंगहाउस और अरेवा जैसी विदेशी कंपनियाँ, जो भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण पर विचार कर रही थीं, गंभीर आर्थिक संकट से गुज़र रही हैं। यह भी भारत के लिये प्राथमिक संसाधन के रूप में परमाणु ऊर्जा की विफलता का कारण बना है।
  - इन कंपनियों का अपना अस्तित्व ही आज दाँव पर है, क्योंकि या तो वे राज्य के भारी ऋण में दबी हैं या प्रतिस्पर्द्धा के कारण उनका अवमूल्यन हुआ है।
- ज़मीनी स्तर पर प्रतिरोध: भारत में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के प्रति अनिच्छा या प्रतिरोध की भावना के कारण कुडनकुलम संयंत्र (Kudankulam plant) को चालू करने में पर्याप्त विलंब हुआ और वेस्टिंगहाउस को अपनी पहली नियोजित परियोजना को गुजरात से आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित करने के लिये विवश होना पड़ा।
- भूमि अधिग्रहण: भूमि अधिग्रहण और परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिये स्थान का चयन भी देश में एक बड़ी समस्या है।
  - तमिलनाडु में कुडनकुलम और आंध्र प्रदेश में कोव्वाडा (Kovvada) जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को भूमि अधिग्रहण संबंधी चुनौतियों के कारण पर्याप्त विलंब का सामना करना पड़ा है।

आगे की राह

- उपलब्ध संसाधनों का उपयोग: भारत में यूरेनियम का अनुमानित प्राकृतिक भंडार लगभग 70, 000 टन और थोरियम का लगभग 3,60,000 टन है।
  - इसलिये, भारत को अपने उपयोग के यूरेनियम के अधिकांश भाग का आयात करना पड़ता है। यह महँगा भी है और भू-राजनीतिक रूप से कठिन भी है।
  - यूरेनियम के आयात पर बड़ी मात्रा में व्यय के बजाय देश को उन परियोजनाओं में महत्त्वाकांक्षी निवेश की आवश्यकता है, जो थोरियम को विखंडनीय यूरेनियम में परिवर्तित करती हैं और उससे बिजली का उत्पादन करती हैं।
- प्री-प्रोजेक्ट समस्याओं को संबोधित करना: सरकार को नए स्थलों पर भूमि अधिग्रहण, विशेष रूप से पर्यावरण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों से मंज़ूरी और विदेशी सहयोगियों की समयबद्ध संलग्नता जैसे प्री-प्रोजेक्ट समस्याओं को संबोधित करने की आवश्यकता है।
  - इसके अलावा, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की पूँजीगत लागत को कम करने के लिये निरंतर प्रयास किये जाने चाहिये।
- सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करना: परमाणु ऊर्जा उत्पादन के संबंध में सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाना चाहिये।
  - परमाणु दुर्घटना के डर से परमाणु ऊर्जा उत्पादन को पूरी तरह से समाप्त किया जाना एक गलत कदम होगा।
    - यदि सुरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन करते हुए परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो भयावह दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है।

नोट :

- इस संबंध में, जल्द-से-जल्द एक 'परमाणु सुरक्षा नियामक प्राधिकरण' (Nuclear Safety Regulatory Authority) की स्थापना देश में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के लिये सहायक सिद्ध होगी।

- प्रौद्योगिकीय सहायता: भारत में पुनर्प्रसंस्करण और संवर्द्धन क्षमता को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके लिये भारत को प्रयुक्त ईंधन के पूर्ण उपयोग और अपनी संवर्द्धन क्षमता की वृद्धि के लिये उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनज़र 'परमाणु' शब्द से जुड़ी नकारात्मकता को दूर करते हुए इस स्वच्छ ऊर्जा स्रोत पर तर्कसंगत पुनर्विचार किया जाना चाहिये।
  - कुछ-न-कुछ सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव रखने वाली विभिन्न निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों के बीच हमें एक उपयुक्त विकल्प का चयन करना होगा।
- बढ़ती ऊर्जा मांगों की पूर्ति के लिये परमाणु ऊर्जा बेहतर समाधानों में से एक है। नवीकरणीय ऊर्जा के निम्न क्षमता उपयोग, जीवाश्म ईंधन की बढ़ती कीमतों और लगातार बढ़ती प्रदूषण की समस्याओं को देखते हुए परमाणु ऊर्जा की क्षमता का पूरी तरह से दोहन किया जाना आवश्यक है।

नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की आवश्यकता

संदर्भ

साइबर को प्राय: भूमि, समुद्र, वायु और अंतरिक्ष क्षेत्र के साथ युद्ध के पाँचवें आयाम के रूप में देखा जाता है। इस बात की संभावना लगातार बढ़ रही है कि साइबर वारफेयर जल्द ही राष्ट्रों के शस्त्रागार का एक नियमित अंग बन जाएगा।

जहाँ तक भारत का प्रश्न है, इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या के मामले में यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरे स्थान पर है, लेकिन फिर भी इसकी साइबर सुरक्षा संरचना अभी नवजात अवस्था में ही है।

विश्व भर में बदलता सैन्य सिद्धांत अब साइबर कमान की स्थापना करने की आवश्यकता पर बल दे रहा है, जो साइबर स्पेस में प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण के साथ-साथ रणनीतियों में परिवर्तन को भी परिलक्षित करता है।

साइबर वारफेयर और भारत

- परिचय: यह किसी राज्य या संगठन की गतिविधियों को बाधित करने हेतु कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के उपयोग की क्रिया है, जिसमें विशेष रूप से रणनीतिक या सैन्य उद्देश्यों के लिये उनकी सूचना प्रणाली पर हमला करना शामिल है।
  - साइबर वारफेयर में आमतौर पर इंटरनेट पर अवैध 'एक्सप्लोइटेशन' ('एक्सप्लोइट' एक कोड होता है, जो सॉफ्टवेयर की कमज़ोरी या सुरक्षा दोषों का लाभ उठाता है) के तरीकों का उपयोग करना, कंप्यूटर नेटवर्क और सॉफ्टवेयर में करप्शन या डिशरप्शन उत्पन्न करना, हैकिंग, कंप्यूटर फोरेंसिक और जासूसी करना शामिल होते हैं।
- साइबर वारफेयर के पक्ष में तर्क: उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग और उपयुक्त नियंत्रणों के साथ साइबर वारफेयर एक सुरक्षित और अधिक लचीला रणनीतिक विकल्प है, जो प्रतिबंध आरोपित करने और बमबारी करने के बीच का एक महत्त्वपूर्ण चरण हो सकता है।
  - मानव-जीवन की क्षति को कम करता है: मानव जीवन की क्षति को कम करना युद्ध की नैतिकता के मूल सिद्धांतों में से एक है।
    - साइबर युद्धों को वैश्विक हिंसा को कम करने के एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है और यह युद्धों में मानव जीवन की हानि को कम कर सकता है।
  - भौतिक क्षेत्रीय आक्रमणों को रोकना: डिजिटल रूप से युद्ध करना एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जहाँ किसी संप्रभु क्षेत्र पर भौतिक आक्रमण के बिना अन्य साधनों से राजनीति की निरंतरता बनी रहती है।
- साइबर वारफेयर के विरुद्ध तर्क:
  - अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा: साइबर वारफेयर के तहत सैन्य अवसंरचना, सरकारी एवं निजी संचार प्रणालियों और वित्तीय बाज़ारों पर हमला करना शामिल है, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक तेज़ी से बढ़ते (लेकिन जिसे अभी कम समझा गया है) खतरे को प्रकट करता है और देशों के बीच भविष्य के संघर्षों/युद्धों में एक निर्णायक साधन बन सकता है।

नोट :

- युद्ध संलग्नता में वृद्धि का जोखिम: किसी देश की रक्षा नीतियों में एक प्रमुख अंग के रूप में साइबर प्रौद्योगिकी के प्रवेश के बाद देश का आकार विशेष मायने नहीं रखेगा।
  - साइबर प्रौद्योगिकी से सशक्त कोई छोटा देश भी अमेरिका, रूस, भारत या चीन जैसे बड़े देशों के बराबर शक्तिशाली होगा, क्योंकि उनके पास भारी क्षति उत्पन्न कर सकने की क्षमता होगी।
- संघर्षों की संख्या में वृद्धि: साइबर वारफेयर की सामान्यता के साथ, प्रत्येक राष्ट्र को द्विपक्षीय संघर्षों के लिये अधिक तैयार रहना होगा, जो पारंपरिक युद्ध की बहुपक्षीय गतिविधियों या लामबंदी के लिये सैन्य ब्लॉकों पर निर्भरता के बजाय साइबर वारफेयर पर आधारित होंगे।

- भारत के लिये खतरा:
  - अतीत के अनुभव: भारत अतीत में कई बार साइबर हमलों का शिकार हो चुका है।
    - वर्ष 2009 में 'घोस्टनेट' (GhostNet) नामक एक संदिग्ध साइबर जासूसी नेटवर्क ने अन्य लोगों के साथ-साथ भारत में तिब्बत की निर्वासित सरकार और कई भारतीय दूतावासों को निशाना बनाया था।
    - कई विशेषज्ञों का मत है कि वर्ष 2020 में मुंबई में हुआ पावर आउटेज चीन के एक राज्य प्रायोजित समूह के हमले का परिणाम था।
  - चीन से खतरा: भारत के लिये वास्तविक खतरा शत्रु देशों से होने वाले लक्षित साइबर हमलों में निहित है।
    - चीन जैसे देशों में परिष्कृत साइबर हमलों को अंजाम देने हेतु अपार संसाधन मौजूद हैं।
  - साइबरस्पेस अवसंरचना की कमी: भारत उन कुछ देशों में से एक है, जिनकी सेना के पास अभी भी एक समर्पित साइबर घटक मौजूद नहीं है।
    - एक डिफेंस साइबर एजेंसी की स्थापना की घोषणा तो की गई थी, लेकिन इस दिशा में आधे-अधूरे कदम ही उठाए गए, जो भारत में रणनीतिक योजना प्रक्रिया की अक्षमता को प्रकट करता है।

आगे की राह

- राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में परिवर्तन लाना:
  - उद्देश्यों को स्पष्ट करना: 21वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि किन संपत्तियों की रक्षा की जानी है, और उन विरोधियों की पहचान करनी होगी जो लोगों में भ्रांति को बढ़ावा देने हेतु असामान्य उपायों के माध्यम से लक्षित राष्ट्र के लोगों को भयभीत करने की कोशिश करते हैं।
  - प्राथमिकताएँ निर्धारित करना: राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं को हाइड्रोजन फ्यूल सेल, समुद्री जल के विलवणीकरण, परमाणु प्रौद्योगिकी के लिये थोरियम के उपयोग, एंटी-कंप्यूटर वायरस और नई प्रतिरक्षी दवाओं जैसे नवाचार और प्रौद्योगिकी के विभिन्न मोर्चों के सहयोग और समर्थन के लिये नए विभागों की आवश्यकता होगी।
    - नई प्राथमिकता पर इस फोकस के लिये, विशेष रूप से विश्लेषणात्मक विषयों के अनुप्रयोग हेतु, विज्ञान और गणित की अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता होगी।
    - इसके साथ ही, प्रत्येक नागरिक को इस रिमोट नियंत्रित नई सैन्य तकनीक से अवगत कराने और इसके लिये तैयार रहने के लिये सजग करने की आवश्यकता होगी।
  - रणनीति में परिवर्तन: इस नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के लिये आवश्यक रणनीति में यह क्षमता होनी चाहिये कि वह विभिन्न आयामों में शत्रुओं का अनुमान कर सके और शत्रुओं का प्रतिरोध कर सकने वाली रणनीति विकसित कर एक प्रदर्शनकारी लेकिन सीमित पूर्व-हमले की क्षमता रखे।
    - चीन की साइबर क्षमता भारत के लिये नया खतरा है जिसके लिये उसे एक नई रणनीति तैयार करनी होगी।
  - नया एजेंडा: नई रणनीति के लिये एजेंडे को महत्त्वपूर्ण एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा पर धयान केंद्रित करना होगा।
- नीति-निर्माताओं की भूमिका: सरकार को साइबर सुरक्षा के लिये एक अलग बजट प्रदान करना चाहिये।
  - राज्य-प्रायोजित हैकरों का मुकाबला करने के लिये साइबर योद्धाओं का एक केंद्रीय निकाय बनाना होगा।

नोट :

- कॅरियर के अवसर प्रदान कर सॉफ्टवेयर विकास में भारत के टैलेंट बेस का लाभ उठाया जाना चाहिये।
- केंद्रीय वित्तपोषण के माध्यम से राज्यों में साइबर सुरक्षा क्षमता कार्यक्रम को सहयोग देना चाहिये।

- रक्षा, प्रतिरोध और दोहन (Defence, Deterrence and Exploitation): साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिये किसी भी राष्ट्रीय रणनीति के ये तीन मुख्य घटक होंगे।
  - महत्त्वपूर्ण साइबर अवसंरचना का बचाव किया जाना चाहिये और अलग-अलग मंत्रालयों एवं निजी कंपनियों द्वारा उल्लंघनों की ईमानदार रिपोर्टिंग के लिये आवश्यक प्रक्रियाएँ स्थापित की जानी चाहिये।
  - साइबरस्पेस में प्रतिरोध (Deterrence) एक बेहद जटिल मुद्दा है। परमाणु प्रतिरोध इसलिये सफल है, क्योंकि शत्रुओं की क्षमता प्रकट या स्पष्ट होती है, लेकिन साइबर वारफेयर के मामले में ऐसी स्पष्टता मौजूद नहीं होती।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये साइबरस्पेस का दोहन किया जाना आवश्यक है। इसकी तैयारी भारतीय सेना द्वारा खुफिया जानकारी जुटाने, लक्ष्यों का मूल्यांकन करने और साइबर हमलों के लिये विशिष्ट उपकरण तैयार करने से शुरू करनी होगी।

निष्कर्ष

- जब साइबर प्रौद्योगिकी किसी राष्ट्र की रक्षा नीतियों का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन जाएगी, तब भूमि क्षेत्र या सकल घरेलू उत्पाद के आकार जैसे घटक अप्रासंगिक हो जाएंगे। इसलिये, भारत की साइबर सुरक्षा स्थिति में सुधार के लिये स्पष्ट और अधिक पारदर्शी रणनीति काफी महत्त्वपूर्ण है।
- साइबर रक्षा और वारफेयर पर एक स्पष्ट सार्वजनिक रुख नागरिकों के भरोसे को बढ़ाती है, सहयोगियों के बीच भरोसे के निर्माण में मदद करती है और संभावित विरोधियों को इरादे का स्पष्ट संकेत देती है; इस प्रकार एक अधिक स्थिर और सुरक्षित साइबर पारितंत्र को सक्षम करती है।

The Vision

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

विकास बनाम पर्यावरण: अवसर और चुनौतियाँ

संदर्भ

केरल एक बार पुन: पर्यावरण संकट की चपेट में है। कोट्टायम और इडुक्की में असामान्य भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएँ दर्ज की गई हैं। इससे जानमाल का भारी नुकसान हुआ है।

जीवन की हानि का एक प्रमुख कारण केरल में भूमि उपयोग पैटर्न में आया परिवर्तन है, जिसकी गंभीर समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। 368 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अखिल भारतीय औसत की तुलना में 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्त्व (2011 की जनगणना के अनुसार) के साथ केरल अपनी भूमि पर सर्वाधिक दबाव का सामना कर रहा है और इसलिये न केवल केरल के संदर्भ में बल्कि पूरे भारत में विकास बनाम पर्यावरण के विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

केरल में भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन

- केरल में ऐतिहासिक रूप से अधिकांश बसावट तटीय मैदान, निकटवर्ती तराई क्षेत्र और मध्यभूमि के कुछ हिस्सों में केंद्रित रही थी।
- हालाँकि, स्थलाकृतिक सीमाओं में उल्लेखनीय भूमि-उपयोग परिवर्तन के साथ अब यह परिदृश्य बदल गया है।
- जनसंख्या वृद्धि, कृषि विस्तार, आर्थिक विकास, अवसंरचनात्मक विकास (विशेष रूप से सड़क निर्माण) और अंतर-राज्य प्रवासन- इन सभी कारणों ने उच्चभूमि में बसावट को प्रेरित किया है।
- केरल में आवासीय भवनों की संख्या में भी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। जनगणना के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2001-11 के एक दशक के दौरान केरल की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, लेकिन इसी अवधि में आवासीय भवनों की संख्या में लगभग 20% की वृद्धि दर्ज की गई।

असंवहनीय अवसंरचनाओं से संबद्ध समस्याएँ

- भू-पर्यावरण पर प्रभाव: भारी निर्माण का भू-पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। न केवल बस्तियों के निर्माण के लिये प्रयोग की जा रही जगह बल्कि निर्माण सामग्री की पूर्ति हेतु उत्खनन और खुदाई, स्लोप मोडिफिकेशन, शैल उत्खनन और सड़कों के निर्माण के माध्यम से भी भूदृश्य को लगातार बदला जा रहा है।
- नदी बेसिन में परिवर्तन: भारी निर्माण के कारण सभी नदियों के बेसिन में भी परिवर्तन आ रहा है। इसके परिणामस्वरूप, प्राकृतिक वनस्पति आच्छादन के अंतर्गत अपक्षय और मृदा निर्माण के माध्यम से विकसित क्षेत्रों के स्वरूप में भारी परिवर्तन हुआ है।
  - इसके साथ ही, नदी जलग्रहण क्षेत्र की जल-अवशोषण क्षमता समाप्त होती जा रही है, जिससे सतही अपवाह में वृद्धि हो रही है और भूजल पुनर्भरण में कमी आ रही है।
  - पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण (भले वह ढलान को काटते हुए किये जाते हों) भी भूदृश्य को अस्थिर बना रहा है और भूस्खलन के लिये अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है।
- निचले ढलान के पर्यावासों पर प्रभाव: पहाड़ी ढलानों पर किये गए निर्माण भारी पर वर्षा के दौरान ढह जाने का खतरा रहता हैं।

विकास बनाम पर्यावरण

- विकास के साथ पर्यावरण का संबंध:
  - आर्थिक विकास के वांछित स्तरों की प्राप्ति के लिये तीव्र औद्योगीकरण और शहरीकरण अपरिहार्य हैं।
  - प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि लाने के लिये भी यह आवश्यक माना जाता है।
  - हालाँकि, इन आय-सृजनकारी गतिविधियों से प्रदूषण जैसे नकारात्मक पर्यावरणीय परिणामों का उत्पन्न होना भी तय है।

नोट :

- निश्चय ही, बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन और गरीबी में कमी लाने के लक्ष्यों की पूर्ति के लिये पर्यावरणीय गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है।
- ऐसी धारणा है कि वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि के साथ-साथ आय के स्तर में क्रमिक वृद्धि से पर्यावरण की गुणवत्ता को पुनर्बहाल किया जा सकता है।
- लेकिन वास्तविकता यह है कि निरंतर विकास सृजनकारी गतिविधियाँ पर्यावरण की गुणवत्ता को और बदतर ही बनाती हैं।

- पर्यावरणीय संवहनीयता को प्रभावित करने वाले विकास-संबंधी कारक:
  - पर्यावरण अनुपालन की कमी:
    - पर्यावरणीय सिद्धांतों की उपेक्षा एक प्रमुख कारण है कि प्राकृतिक आपदाएँ परिहार्य हताहतों की बड़ी संख्या का कारण बनती हैं।
    - किसी क्षेत्र पर प्राकृतिक खतरों के जोखिम का वैज्ञानिक आकलन करने का कोई भी अभ्यास पूर्णत: लागू नहीं किया जाता है।
    - अनियंत्रित उत्खनन और पहाड़ी ढलानों की अवैज्ञानिक तरीके से कटाई मृदा कटाव का खतरा बढ़ा देती है, जिसके परिणामस्वरूप भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।
  - सब्सिडी के दुष्परिणाम:
    - समाज के कमज़ोर वर्गों के कल्याण के प्रयास में सरकार भारी मात्रा में सब्सिडी प्रदान करती रही है।
    - लेकिन ऊर्जा और बिजली जैसी सेवाओं की सब्सिडी-युक्त प्रकृति उनके अति प्रयोग की ओर ले जाती है और पर्यावरणीय संवहनीयता को कमज़ोर करती है।
    - इसके अलावा, सब्सिडी राजस्व आधार को भी कमज़ोर करती है और नई, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश करने की सरकार की क्षमता को सीमित करती है।
  - लागत-रहित पर्यावरणीय संसाधन:
    - प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच पूर्णत: स्वतंत्र है और कोई भी व्यक्तिगत उपयोगकर्त्ता पर्यावरणीय क्षरण की पूरी लागत का वहन नहीं करता और इसके परिणामस्वरूप संसाधनों के अति-उपयोग या दोहन की स्थिति बनती है।
  - जनसंख्या गतिशीलता की जटिलता:
    - बढ़ती हुई जनसंख्या अविकास और पर्यावरणीय क्षरण के बीच के समस्याजनक संबंधों को और मज़बूत कर देती है।
    - इसके अलावा, निर्धनता प्रवासन को बढ़ावा देती है, जो शहरी क्षेत्रों को पर्यावरण की दृष्टि से अस्थिर या असंवहनीय बनाता है।
    - ये दोनों ही परिणाम संसाधनों पर दबाव बढ़ाते हैं और नतीजतन पर्यावरणीय गुणवत्ता बदतर होती जाती है, उत्पादकता का ह्रास होता है और निर्धनता और गहरी ही होती जाती है।

आगे की राह

- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील विकास: विकास-संबंधी हस्तक्षेप विवेकपूर्ण और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील होने चाहिये ताकि अनपेक्षित परिणामों से बचा जा सके।
  - संबंधित सरकारों को लागत-लाभ विश्लेषण (Cost-Benefit Analysis) जैसे उपाय करने की आवश्यकता है।
- तकनीकी विशेषज्ञता: पृथ्वी वैज्ञानिकों, स्वतंत्र सार्वजनिक नीति विशेषज्ञों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों के सहयोग के साथ हमारी पृथ्वी की पुनर्रचना (Re-Engineering) के लिये तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है।
- स्वदेशी ज्ञान को शामिल करना: स्वदेशी लोगों के ज्ञान और व्यापक पारितंत्र की उनकी समझ से क्षेत्र और देश लाभान्वित हो सकते हैं।
  - इस प्रकार, पारंपरिक संस्थाओं और प्रबंधन प्रणालियों सहित शासन व्यवस्था को प्रकृति की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन के संबंध में समझ विकसित करने के लिये स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को अपनी योजना में शामिल करना चाहिये।
- जैव विविधता का संरक्षण: जैव विविधता और पर्यावरणीय संवहनीयता का आपसी संबंध किसी भी निर्णय-निर्माण में जैव विविधता संबंधी विचारों को एकीकृत करने की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

नोट :

- इस प्रकार, किसी भी आधारभूत संरचना परियोजना को स्वीकार किये जाने से पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environment Impact Assessment- EIA) अवश्य किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

मानव विकास दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाले 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (UNDP) ने 'ग्रहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक' (Planetary-Pressures Adjusted Human Development Index) का प्रस्ताव किया है, जो किसी देश के मानव विकास का उसके पारिस्थितिक पदचिह्न के आधार पर मूल्यांकन करता है।

एंथ्रोपोसीन युग में रहते हुए हमें अपनी प्राकृतिक दुनिया को आगे किसी अतिरिक्त क्षति से बचाने हेतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

दृष्टि The Vision

नोट :

सामाजिक न्याय

सोशल मीडिया और युवा

संदर्भ

हाल ही में, इंस्टाग्राम और इसकी पैरेंट कंपनी फेसबुक को तब सार्वजनिक रोष का सामना करना पड़ा, जब कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि उनके उपयोग का युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फेसबुक के 'व्हिसल ब्लोअर' फ्रांसेस हौगेन (Frances Haugen) ने भी यह खुलासा किया कि बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की तुलना में लाभ को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसने युवाओं पर ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइटों के प्रभाव को उजागर किया है।

सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव

- संपर्क और संबंध: फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंच किशोरों और युवा वयस्कों को अपनेपन और स्वीकृति की एक भावना प्रदान करते हैं। यह बात LGBTQ जैसे समूहों के लिये विशेष रूप से सत्य है, जो अलग-थलग या हाशिये पर मौजूद हैं।
  - कोरोना महामारी के दौरान इसका चौतरफा प्रभाव स्पष्ट तौर पर नज़र आया जब इसने 'आइसोलेशन' में रह रहे लोगों और प्रियजनों को आपस में जोड़े रखा।
- सकारात्मक प्रेरणा: सोशल नेटवर्क 'सहकर्मी प्रेरणा' (Peer Motivation) का सृजन कर सकते हैं और युवाओं को नई एवं स्वस्थ आदतें विकसित करने के लिये प्रेरित कर सकते हैं। किशोर ऑनलाइन माध्यम से अपने लिये सकारात्मक रोल मॉडल भी ढूँढ सकते हैं।
- पहचान का निर्माण: किशोरावस्था ऐसा समय होता है जब युवा अपनी पहचान को संपुष्ट करने और समाज में अपना स्थान पाने का प्रयास कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया किशोरों को अपनी विशिष्ट पहचान विकास हेतु एक मंच प्रदान करता है।
  - एक अध्ययन से पता चला है कि जो युवा सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, वे 'बेहतर प्रगति' (Well-Being) का अनुभव करते हैं।
- अनुसंधान: मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और शोधकर्त्ता सोशल मीडिया का उपयोग प्राय: डेटा एकत्र करने के लिये करते हैं, जो उनके अनुसंधान में योगदान करता है। इसके अलावा, थेरेपिस्ट एवं अन्य पेशेवर लोग ऑनलाइन समुदायों के अंदर परस्पर नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं, जिससे उनके ज्ञान और पहुँच का विस्तार हो सकता है।
- अभिव्यक्ति प्रदान करना: सोशल मीडिया ने किशोरों को एक-दूसरे के पक्ष में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया है। सशक्त भावों, विचारों या ऊर्जा की अभिव्यक्ति और सदुपयोग से यह बेहद सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।
- गेटवे टू टैलेंट: सोशल मीडिया आउटलेट छात्रों को अपनी रचनात्मकता और विचारों को तटस्थ दर्शकों के साथ साझा करने और एक ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिये एक मंच प्रदान करते हैं। प्राप्त प्रतिक्रिया उनके लिये अपने कौशल को बेहतर ढंग से आकार देने की मार्गदर्शक बन सकती हैं, यदि वे उस कौशल को पेशेवर रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं।
  - उदाहरण के लिये, कोई फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर अपने शॉट्स को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर शुरुआत करता है। कई युवा पहले से ही इसमें अपना कॅरियर बना रहे हैं।
- रचनात्मकता को बढ़ावा: सोशल मीडिया युवाओं को उनके आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह युवाओं को विचारों की और संभावनाओं की दुनिया से जोड़ता है। ये मंच छात्रों को अपने मित्रों और अपने सामान्य दर्शकों के साथ जुड़ने के मामले में अपने रचनात्मक कौशल का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।
- डिजिटल सक्रियता और सामाजिक परिवर्तन: सोशल मीडिया समुदाय के अंदर प्रभाव उत्पन्न करने का एक माध्यम बन सकता है। यह उन्हें न केवल अपने समुदाय के अंदर बल्कि पूरे विश्व में आवश्यक विषयों से अवगत कराता है। 'ग्रेटा थनबर्ग' युवा सक्रियता की ऐसी ही एक उदाहरण है।

नोट :

सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव

- मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ: कई अध्ययनों में सोशल मीडिया के उपयोग और अवसाद के बीच घनिष्ठ संबंध पाया गया है। एक अध्ययन के अनुसार, मध्यम से गंभीर अवसाद लक्षण वाले युवाओं में सोशल मीडिया का उपयोग करने की संभावना लगभग दोगुनी थी। सोशल मीडिया पर किशोर अपना अधिकांश समय अपने साथियों के जीवन और तस्वीरों को देखने में बिताते हैं। यह एक निरंतर तुलनात्मकता की ओर ले जाता है, जो आत्म-सम्मान और 'बॉडी इमेज' को नुकसान पहुँचा सकता है और किशोरों में अवसाद एवं चिंता की वृद्धि कर सकता है।
- शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएँ: सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के परिणामस्वरूप स्वास्थ्यप्रद, वास्तविक दुनिया की गतिविधियों पर कम समय व्यय किया जाता है। सोशल मीडिया फीड्स को स्क्रॉल करते रहने की आदत—जिसे 'वैम्पिंग' (Vamping) कहा जाता है, के कारण नींद की कमी की समस्या उत्पन्न होती है।
- सामाजिक संबंध: किशोरावस्था सामाजिक कौशल विकसित करने का एक महत्त्वपूर्ण समय होता है। लेकिन, चूँकि किशोर अपने दोस्तों के साथ आमने-सामने कम समय बिताते हैं, इसलिये उनके पास इस कौशल के अभ्यास के कम अवसर होते हैं।
- 'टेक एडिक्शन': वैज्ञानिकों ने पाया है कि किशोरों द्वारा सोशल मीडिया का अति प्रयोग उसी प्रकार के उत्तेजना पैटर्न का सृजन करता है जैसा अन्य एडिक्शन व्यवहारों से उत्पन्न होता है।
- पूर्वाग्रहों की पुन:पुष्टि: सोशल मीडिया दूसरों के बारे में उनके पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों की पुन:पुष्टि का अवसर प्रदान करता है। समान विचारधारा वाले लोगों से ऑनलाइन मिलने से इन प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है क्योंकि उनमें समुदाय की भावना का विकास होता है। उदाहरण: फ्लैट अर्थ सोसाइटी।
- साइबरबुलिइंग या ट्रोलिंग: इसने गंभीर समस्याएँ पैदा की हैं और यहाँ तक कि किशोरों के बीच आत्महत्या के मामलों को भी जन्म दिया है। इसके अलावा, साइबरबुलिइंग जैसे कृत्य में संलग्न किशोर मादक पदार्थों के सेवन, आक्रामकता और आपराधिक कृत्य में संलग्न होने के प्रति भी संवेदनशील होते हैं।
  - ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न और शोषण: संयुक्त राज्य अमेरिका में किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल सभी अमेरिकी बच्चों में से लगभग आधे ने संकेत दिया कि उन्हें ऑनलाइन रहते हुए असहज महसूस कराया गया, उन्हें धमकाया गया या उनसे यौन प्रकृति का संवाद किया गया। एक अन्य अध्ययन में, यह पाया गया कि ऑनलाइन यौन शोषण के शिकार लोगों में से 50 प्रतिशत से अधिक 12 से 15 वर्ष की आयु के बीच के थे।

आगे की राह

- एक समर्पित सोशल मीडिया नीति: युवाओं को उपभोक्ताओं या भविष्य के उपभोक्ताओं के रूप में लक्षित नहीं करने के लिये उत्तरदायित्त्व का सृजन कर सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिये एक समग्र नीति अपनाई जानी चाहिये। यह एल्गोरिदम को युवाओं के बजाय वयस्कों के प्रति अधिक अनुकूल बनाएगा।
- अनुपयुक्त सामग्री के लिये सुरक्षा उपाय: सोशल मीडिया मंचों को कुछ ऐसी सामग्री की अनुशंसा करने या उसका प्रसार करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिये जिसमें यौन, हिंसक या अन्य वयस्क सामग्री (जुआ या अन्य खतरनाक, अपमानजनक, शोषणकारी, या पूरी तरह से व्यावसायिक सामग्री सहित) शामिल हैं।
  - नैतिक रूपरेखा के मानक: ये मानक तकनीकी कंपनियों के लिये 'डिजिटल डिस्ट्रैक्शन' (Digital Distraction) को रोकने, टालने एवं हतोत्साहित करने तथा नैतिक ह्यूमन लर्निंग को प्राथमिकता देने के सिद्धांत निर्धारित करेंगे।
- डिजिटल साक्षरता: यह महत्त्वपूर्ण है कि भारत में विद्यमान 'डिजिटल डिवाइड' को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाए, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में। युवाओं की सुरक्षा के नाम पर नीतिगत निर्णय का परिणाम यह नहीं होना चाहिये कि वंचित पृष्ठभूमि के युवा भविष्य के अवसरों से हाथ धो बैठें।
- शासन और विनियमन: कंटेंट, डेटा स्थानीयकरण, थर्ड पार्टी डिजिटल ऑडिट, सशक्त डेटा संरक्षण कानून आदि के लिये इन मंचों के अधिक उत्तरदायित्व हेतु सरकारी विनियमन भी आवश्यक है।
- सोशल मीडिया मंचों की भूमिका: 'ऑटो-प्ले' सेशन, पुश अलर्ट जैसे कुछ फीचर्स पर प्रतिबंध लगाना और इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण ऐसे उत्पादों का सृजन करना जो युवाओं को लक्षित न करें।

नोट :

- सामाजिक एजेंसियों की भूमिका: सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने, सदुपयोगी बनाने और सीमित करने के लिये माता-पिता, शैक्षणिक संस्थानों और समाज को समग्र रूप से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। पैरेंटल कंट्रोल फीचर के उपयोग, स्क्रीन टाइम को सीमित करने, बच्चों के साथ लगातार संवाद करने और बाह्य गतिविधियों को बढ़ावा देकर इस लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है।

निष्कर्ष

युवाओं पर डिजिटल तकनीक के प्रभाव का मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रभाव उनके वयस्क व्यवहार और भविष्य के समाजों के व्यवहार को आकार प्रदान करेंगे। यह जानना दिलचस्प होगा कि बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों ने अपने बच्चों की प्रौद्योगिकी तक पहुँच को गंभीरता से नियंत्रित रखा था।

सभी प्रौद्योगिकियों के स्पष्ट लाभ और संभावित हानिकारक प्रभाव होते हैं। जैसा कि जीवन के अधिकांश विषयों पर लागू होता है, सोशल मीडिया के उपयोग में भी अति से बचने और उसका संतुलित उपयोग करने में ही समस्या का समाधान निहित हो सकता है।

लोकतंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

संदर्भ

हाल ही में, एक राजनीतिक दल ने अगले वर्ष होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी टिकट का 40% हिस्सा महिलाओं के लिये आरक्षित करने का फैसला किया है। इससे एक बार फिर संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की आवश्यकता पर बहस शुरू हो गई है।

- अंतर-संसदीय संघ (Inter-Parliamentary Union- IPU)—जिसका भारत भी एक सदस्य है, द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार, विश्व भर में महिलाएँ लोकसभा के कुल सदस्यों के 14.44% का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) के नवीनतम आँकड़े के अनुसार:
  - अक्तूबर 2021 तक महिलाएँ संसद के कुल सदस्यों के 10.5% का प्रतिनिधित्व कर रही थीं।
  - भारत में सभी राज्य विधानसभाओं को एक साथ देखें तो महिला सदस्यों (विधायकों) की स्थिति और भी बदतर है, जहाँ राष्ट्रीय औसत मात्र 9% है।
  - आज़ादी के पिछले 75 वर्षों में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत भी नहीं बढ़ा है।

कम प्रतिनिधित्व के प्रमुख कारण

- लिंग संबंधी रूढ़ियाँ:
  - पारंपरिक रूप से घरेलू गतिविधियों के प्रबंधन की भूमिका महिलाओं को सौंपी गई है।
  - महिलाओं को उनकी रूढ़ीवादी भूमिकाओं से बाहर निकलने और देश की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- प्रतिस्पर्द्धा:
  - राजनीति, किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह, प्रतिस्पर्द्धा का क्षेत्र है। अंततः महिला राजनेता भी प्रतिस्पर्द्धी ही मानी जाती हैं।
  - कई राजनेताओं को भय है कि महिला आरक्षण लागू किये जाने पर उनकी सीटें बारी-बारी से महिला उम्मीदवारों के लिये आरक्षित की जा सकती हैं, जिससे स्वयं अपनी सीटों से चुनाव लड़ सकने का अवसर वे गँवा सकते हैं।
- राजनीतिक शिक्षा का अभाव:
  - शिक्षा महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। शैक्षिक संस्थानों में प्रदान की जाने वाली औपचारिक शिक्षा नेतृत्व के अवसर पैदा करती है और नेतृत्व को आवश्यक कौशल प्रदान करती है।
  - राजनीति की समझ की कमी के कारण वे अपने मूल अधिकारों और राजनीतिक अधिकारों से अवगत नहीं हैं।

नोट :

- कार्य और परिवार:
  - पारिवारिक देखभाल उत्तरदायित्वों के असमान वितरण का परिणाम यह होता है कि महिलाएँ घर और बच्चों की देखभाल में पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक समय देती हैं।
  - एक महिला को न केवल गर्भावस्था और प्रसव के दौरान अपना समय देना पड़ता है, बल्कि यह तब तक जारी रहता है जब तक कि बच्चा देखभाल के लिये माता-पिता पर निर्भर न रह जाए।
- राजनीतिक नेटवर्क का अभाव:
  - राजनीतिक निर्णय-निर्माण में पारदर्शिता की कमी और अलोकतांत्रिक आंतरिक प्रक्रियाएँ सभी नए प्रवेशकों के लिये चुनौती पेश करती हैं, लेकिन महिलाएँ इससे विशेष रूप से प्रभावित होती हैं, क्योंकि उनके पास राजनीतिक नेटवर्क की कमी होती है।
- संसाधनों की कमी:
  - भारत की आंतरिक राजनीतिक दल संरचना में महिलाओं के कम अनुपात के कारण, महिलाएँ अपने राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों के संपोषण हेतु संसाधन और समर्थन जुटाने में विफल रहती हैं।
  - महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिये राजनीतिक दलों से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती है।
- सोशल कंडीशनिंग:
  - उन्हें अपने ऊपर थोपे गए निर्देशों को स्वीकार करना होता है और समाज का बोझ उठाना पड़ता है।
  - सार्वजनिक दृष्टिकोण न केवल यह निर्धारित करता है कि आम चुनाव में कितनी महिला उम्मीदवार जीतेंगी, बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यह भी निर्धारित करता है कि किस पद के लिये उन्हें नामांकित किया जाए।
- प्रतिकूल वातावरण:
  - कुल मिलाकर राजनीतिक दलों का माहौल भी महिलाओं के अधिक अनुकूल नहीं है; उन्हें पार्टी में जगह बनाने के लिये कठिन संघर्ष और बहुआयामी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
  - राजनीति में हिंसा बढ़ती जा रही है। अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, असुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि ने महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र से बाहर कर दिया है।

सरकार के प्रयास

- महिला आरक्षण विधेयक 2008:
  - यह भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में सभी सीटों में से एक-तिहाई सीटों को महिलाओं के लिये आरक्षित करने हेतु भारत के संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण:
  - संविधान का अनुच्छेद 243D पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है, जहाँ प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या और पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की संख्या में से कम-से-कम एक तिहाई को महिलाओं के लिये आरक्षित किया गया है।
- महिला सशक्तीकरण पर संसदीय समिति:
  - महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु वर्ष 1997 में संसद की 11वीं लोकसभा के दौरान पहली बार महिला सशक्तीकरण समिति का गठन किया गया था।
  - समिति के सदस्यों से अपेक्षा की गई थी कि वे पार्टी संबद्धताओं से सीमित न रहते हुए महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये मिलकर काम करेंगे।

आगे की राह

यह भारत जैसे देश के लिये आवश्यक है कि मुख्यधारा की राजनीतिक गतिविधियों में समाज के सभी वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित की जाए; इसलिये इसको बढ़ावा देने हेतु सरकार को आवश्यक कदम उठाने पर विचार करना चाहिये।

नोट :

- महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना:
  - सभी राजनीतिक दलों को एक आम सहमति तक पहुँचते हुए महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पारित करना चाहिये, जिसमें संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है।
- राज्य स्तर पर स्थानीय निकायों की महिला प्रतिनिधियों को बढ़ावा देना:
  - स्थानीय स्तर पर महिलाओं का एक ऐसा समूह उभर चुका है, जो सरपंच और स्थानीय निकायों के सदस्य के रूप में स्थानीय स्तर के शासन का तीन दशक से अधिक समय का अनुभव रखता है।
  - वे अब राज्य विधानसभाओं और संसद में बड़ी भूमिका सकती हैं।
- राजनीतिक दलों में महिला कोटा:
  - गिल फॉर्मूला: भारतीय निर्वाचन आयोग के उस प्रस्ताव को लागू किये जाने की आवश्यकता है, जिसके अनुसार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को अपनी मान्यता बनाए रखने के लिये राज्य विधानसभा और संसदीय चुनावों में महिलाओं के एक न्यूनतम सहमत प्रतिशत को अवसर देना ही होगा।
- पार्टी के भीतर लोकतंत्र को बढ़ावा देना:
  - कोई राजनीतिक दल—जो वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक होगा, वह निर्वाचन प्रक्रिया से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जैसे पदों पर दल की महिला सदस्यों को उचित अवसर प्रदान करेगा।
- रूढ़ियों को तोड़ना:
  - समाज को महिलाओं को घरेलू गतिविधियों तक सीमित रखने की रूढ़िवादिता को तोड़ना होगा।
  - सभी संस्थानों (राज्य, परिवार और समुदाय) के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि वे महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं—जैसे शिक्षा में अंतराल को कम करने, लिंग भूमिकाओं पर फिर से विचार करने, श्रम के लैंगिक विभाजन और पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को दूर करने के प्रति सजग हों और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएँ।

निष्कर्ष

वर्तमान में युवा भारतीय महिलाएँ संभवत: किसी भी अन्य समूह की तुलना में आकांक्षी भारत का अधिक प्रतिनिधित्व करती हैं। अवसर मिलने पर वे हमारी गतिहीन राजनीति में एक नई ऊर्जा ला सकती हैं और इसे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आजीविका जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के वितरण की दिशा में ले जा सकती हैं।

नोट :